पी.पी.टी.– 2010 के आधार पर

छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित
शासकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों

तथा

निजी क्षेत्र की पॉलिटेक्निक संस्थानों में संचालित

इंजीनियरिंग डिप्लोमा (सिविल, मेकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रानिक्स, आई.टी.,

कम्प्यूटर साइंस, केमिकल, माइनिंग, इंस्ट्रुमेंटेशन, प्रिटिंग टेक्नालॉजी तथा मेटलर्जी)

पाठ्यक्रमों के

प्रथम वर्ष में प्रवेश के नियम

सत्र 2010–2011

तकनीकी शिक्षा संचालनालय छत्तीसगढ़,
बायरन बाजार रायपुर (छ.ग.)
दूरभाष 0771–2421376,2331330 फेक्स 0771–2331331
website-www. cgdteraipur.ac.in

महत्वपूर्ण निर्देश

अभ्यर्थियों को महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता पी.पी.टी. का फार्म भरते समय नहीं होती है । इन दस्तावेजों की मूल प्रति की आवश्यकता काउंसिलिंग के समय होती है अतः काउंसिलिंग के समय निम्न दस्तावेजो की मूल प्रति आवश्यक रूप से साथ लावें ।

निम्नलिखित दस्तावेज पहले से ही बनवा लें ताकि काउंसिलिंग के समय असुविधा न हो ।

- निवास प्रमाणपत्र
- स्थायी जाति प्रमाणपत्र (अस्थायी स्वीकार्य नहीं)
- आदिमजाति अनुसंधान केन्द्र रायपुर से जाति सत्यापन प्रमाणपत्र
- दसवीं की मूल अंकसूची
- बारहवीं की मूल अंकसूची (यदि 12वीं में सम्मिलित हुये हों)
- स्वतंत्रता संग्राम सेनानी (FF) वर्ग संबंधी प्रमाणपत्र
- सैनिक वर्ग संबंधी प्रमाणपत्र
- काउंसिलिंग के दिन काउंसिलिंग फार्म प्रारूप – 11 में भरकर तथा नियत स्थान पर फोटो चिपका कर साथ लायें ।
- निःशक्तता से बाधित होने संबंधी प्रमाणपत्र – संबंधित जिले के जिला मेडिकल बोर्ड एवं अधीक्षक भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, निःशक्तजन हेतु व्यावसायिक पुर्नवास केन्द्र, दाना गोदाम मोटर स्टेन्ड, नेपियर टाउन जबलपुर द्वारा जारी हो ।
  (उपरोक्त दोनो अधिकारियों से जारी विकलांग होने संबंधी प्रमाणपत्र– संबंधित जिले के जिला मेडिकल बोर्ड एवं अधीक्षक भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, निःशक्तजन प्रमाण पत्र आवश्यक है) ।
- काउंसिलिंग कार्यक्रम एवं रिक्त सीटों की अद्यतन जानकारी हेतु संचालनालय तकनीकी शिक्षा की अधिकृत वेबसाइट– www cgdteraipur.ac.in का अवलोकन करें ।
- पी.पी.टी.– 2010 परीक्षा केवल इंजीनियरिंग डिप्लोमा (सिविल, मेकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रानिक्स, आई.टी., कम्प्यूटर साइंस, केमिकल, माइनिंग, इंस्ट्रुमेंटेशन, प्रिटिंग टेक्नालॉजी तथा मेटलर्जी) के लिये आयोजित होगी शेष पाठ्यक्रम जैसे MOM, CDDM, IDD एवं डिप्लोमा फार्मेसी (D.Pharmacy) के लिये अलग से आवेदन करना होगा जिसके लिये अलग से समाचार पत्रों में सूचना दी जायेगी । इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर होगा ।
- काउंसिलिंग सामान्यतया जुलाई अगस्त के माह में होती है परंतु इसमें परिवर्तन हो सकता है । काउंसिलिंग की सूचना समाचार पत्रों में दी जायेगी इसके लिये कॉल लेटर नहीं भेजा जायेगा, कृपया समाचार पत्रों का नियमित अवलोकन करते रहें ।

अध्याय –2

छत्तीसगढ़ निजी व्यावसायिक संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम 2008 में निहित निर्देशों के पालन में निजी क्षेत्र के डिप्लोमा इंजीनियरिंग संस्थाओं (पॉलीटेकनिक) में संचालित इंजीनियरिंग डिप्लोमा उपाधि पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में सत्र 2010–2011 में प्रवेश राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा प्री–पॉलीटेकनिक टेस्ट (पी.पी.टी.) – 2010 के मेरिट के आधार पर होंगे ।

पी.पी.टी. – 2010 के आधार पर ही छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित शासकीय संस्थाओं में भी प्रवेश होंगे । पी.पी.टी. के लिये छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी के साथ छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के अभ्यर्थी भी पात्रता रखतें हैं । अतः पी.पी.टी. में छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी के साथ अन्य राज्यों के निवासी भी सम्मिलित हो सकते हैं ।

पी.पी.टी. का आयोजन छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मंडल, रायपुर द्वारा किया जायेगा । इस परीक्षा के आधार पर विभिन्न संस्थाओं में प्रवेश की कार्यवाही काउंसिलिंग के माध्यम से किये जायेंगे । इस हेतु निम्नानुसार नियम बनाये जाते हैं :–

सी.जी.पी.पी.टी. – 2010 के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित शासकीय एवं निजी क्षेत्र के पॉलिटेक्निक संस्थाओ के डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में सत्र 2010–2011 में प्रथम वर्ष में प्रवेश के नियम :–

2.1 **संक्षिप्त नाम** : ये नियम 'छत्तीसगढ़ इंजीनियरिंग डिप्लोमा पाठयक्रम प्रवेश नियम 2010' कहलायेंगे । इन नियमों को एतस्मिन पश्चात 'प्रवेश नियम' कहा गया है ।

2.2 **विस्तारः** ये नियम अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से अनुमोदित एवं छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित शासकीय पॉलिटेक्निक संस्थाओ व निजी क्षेत्र के पॉलिटेक्निक संस्थाओ के लिये तथा इनमें प्रथम वर्ष में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिये लागू होगें ।

2.3 **परिभाषायें :–**

इन नियमों में, जहां तक संदर्भ से अन्यथा अभिप्रेत न हो, निम्नलिखित अभिव्यक्तियों का अर्थ निम्नानुसार होगा :–

1. 'प्रवर्ग' का तात्पर्य है अनुसूचित जाति प्रवर्ग (SC- Scheduled Caste), अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग (ST- Scheduled Tribe) एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC- Other Backward Class) (क्रीमीलेयर को छोड़कर) जो इन तीनों प्रवर्ग में नहीं आता उसे अनारक्षित प्रवर्ग (UR- Un Reserved) माना जायेगा ।

2. 'व्या.प.म.' का तात्पर्य है 'छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल' छत्तीसगढ़ रायपुर ।

3. 'सक्षम प्राधिकारी' (स.प्रा.) का अभिप्रेत है ऐसा आधिकारी जिसे राज्य शासन द्वारा काउंसिलिंग कार्य हेतु सक्षम प्राधिकारी घोषित किया गया है ।

4. 'प्राचार्य' का तात्पर्य है संस्था प्रमुख ।

5. 'छत्तीसगढ़' का तात्पर्य है छत्तीसगढ़ राज्य जो केन्द्र शासन की अधिसूचना के कारण दिनांक 01.11.2000 को अस्तित्व में आया ।

6. 'अ.भा.त.शि.प.' का तात्पर्य है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ।

7. 'संचालक' का तात्पर्य है संचालक, तकनीकी शिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर ।

8. 'अभ्यर्थी' से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो इन नियमों के अंर्तगत प्रवेश हेतु इच्छुक है ।

9. 'वर्ग' से अभिप्रेत है 'सैनिक वर्ग', 'स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग', एवं निःशक्तता से बाधित वर्ग

   जो उपरोक्त किसी भी वर्ग में नहीं आता उसे 'बिना वर्ग' माना जायेगा ।

2.4 **उपलब्ध स्थान एवं इंजीनियरिंग शाखाएं**

राज्य के समस्त शासकीय पॉलिटेक्निक संस्थाओ की समस्त सीटें राज्य के मूल निवासियों से भरी जायेंगी । तथा यह छत्तीसगढ़ कोटा कहलाएंगी तथा पी.पी.टी. के आधार पर ही भरी जायेगी ।

निजी संस्थाओं में कुल सीटों का विभाजन छत्तीसगढ़ कोटा (75 प्रतिशत), अन्य राज्य कोटा (10 प्रतिशत) एवं मेनेजमेंट कोटा (15 प्रतिशत) के अंतर्गत अलग–अलग प्रतिशत निर्धारित है ।

तालिका 1 में छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित शासकीय पॉलिटेक्निक संस्थाओ एवं निजी क्षेत्र के पॉलिटेक्निक संस्थाओ में इंजीनियरिंग डिप्लोमा पाठयक्रमों में सत्र 2010–11 में प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु उपलब्ध कुल स्थानों की संख्या दर्शाई गई है ।

तालिका 2 में शासकीय संस्थाओं में आरक्षण की जानकारी दी गयी है ।

तालिका 3 में निजी संस्थाओं में छत्तीसगढ़ कोटा, अन्य राज्य कोटा एवं मैनेजमेंट कोटा की जानकारी दी गयी है

सत्र 2010–11 से शासकीय पॉलीटेकनिक संस्थाओं की समस्त सीटें छत्तीसगढ़ कोटा की सीटें हैं एवं इन सीटों पर प्रवेश के लिये छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी ही पात्रता रखतें हैं । निजी संस्था की सी.जी. कोटा भी केवल स्थानीय निवासियों से भरी जायेंगी । निजी पॉलीटेकनिक संस्था की अन्य राज्य कोटा की सीटों एवं मैनेजमेंट कोटा की सीटों पर भी प्रवेश पी.पी.टी. – 2010 के मेरिट के आधार पर होंगे । अतः निजी संस्थाओं में प्रवेश के इच्छुक अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को भी सी.जी.पी.पी.टी. – 2010 में सम्मिलित होना अनिवार्य हैं ।

छ.ग. राज्य कोटा एवं अन्य राज्य कोटा में प्रवेश हेतु केन्द्रीय काउंसिलिंग संचालनालय द्वारा किया जायेगा एवं मैनेजमेंट कोटा की सीटों पर प्रवेश हेतु काउंसिलिंग संस्था स्तर पर होगा ।

यदि अन्य राज्य कोटा की सीट अन्य राज्य के अभ्यर्थियों से नहीं भरती है तो इसे छत्तीसगढ़ कोटा में परिवर्तन कर दिया जायेगा । इसी प्रकार यदि छ.ग. कोटे की सीट मेरिट लिस्ट की समस्त अभ्यर्थियों को प्रवेश हेतु मौका देने के पश्चात् भी शेष रह जाती है तो इसे अन्य राज्य कोटा में परिवर्तन किया जा सकता है ।

2.4.1 प्रवेश प्रक्रिया के दौरान अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली द्वारा किसी संस्था में किसी पाठ्यक्रम के लिए स्वीकृति दी जाती है या किसी संस्था के पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में परिवर्तन किया जाता है तो निम्न प्रक्रिया अनुसार स्थान, संख्या में परिवर्तन सहित प्रवेश दिया जाएगा । जिन संस्थाओं में किसी ब्रांच में प्रवेश क्षमता में परिवर्तन किया जाता है तब यदि उस संस्था में उस ब्रांच की सीट रिक्त रहती है तब उस ब्रांच की नई बढ़ी हुई सीटों को रिक्त सीटों की संख्या में जोड़ा जायेगा ।

जिस ब्रांच में प्रवेश क्षमता में वृद्धि होती है उस ब्रांच में सीट रिक्त नहीं रहने की स्थिति में बढ़ी हुई सीटों की संख्या को बिना ब्रांच की सीटों की संख्या में दर्शाया जायेगा । बिना ब्रांच की सीटों को नियम 2.8.12 के अनुसार ही भरा जायेगा ।

यदि किसी नयी संस्था के लिए काउंसिलिंग के दौरान ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा अनुमोदन प्राप्त होता है तो उसे काउंसिलिंग में सम्मिलित किया जा सकता है ।

2.5 सीटों का आरक्षण :–

2.5.1 उर्ध्वाधर (Vertical Reservation)

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग प्रवर्गों के लिए–

शासकीय पॉलीटेकनिक संस्थाओं में प्रवेश हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग (*क्रीमी लेयर* को छोड़ कर) प्रवर्गों के लिए क्रमशः 15, 21 एवं 14 प्रतिशत सीटों पर आरक्षण किया गया है तथा ऐसी आरक्षित सीटों की संख्या तालिका 2 में दी गई है । शेष 50 प्रतिशत सीटें अनारक्षित (UR) रहेंगी । इन अनारक्षित सीटों पर मेरिट के आधार पर किसी भी प्रवर्ग का (SC/ST/OBC/GEN) अभ्यर्थी प्रवेश पा सकता है । यदि किसी SC/ST अथवा OBC

प्रवर्ग के छात्र को मेरिट के आधार पर अनारक्षित UR सीट मिलती है तो उसे UR में ही सामायोजित किया जायेगा एवं आरक्षित सीट को यथावत रहने दिया जायेगा ।

निजी संस्थाओं में किसी प्रकार का आरक्षण नहीं है ।

ऐसा अभ्यर्थी जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा पिछड़ा वर्ग (*क्रीमी लेयर* को छोड़ कर) प्रवर्ग में होने संबंधी पात्रता का दावा करता है उसे समय समय पर छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आरक्षण संबंधी नियमों एवं/ अथवा निर्देशों में विहित सक्षम अधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी) द्वारा जारी किया गया स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा । अस्थायी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षित श्रेणी में प्रवेश की पात्रता नहीं रहेगी तथापि मेरिट के आधार पर अनारक्षित सीट पर प्रवेश की पात्रता रहेगी ।

आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को जाति सत्यापन प्रमाण पत्र पृथक से जमा करना आवश्यक है । जाति प्रमाण पत्रों का सत्यापन आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर रायपुर से होना है । जाति सत्यापन काउंसिलिंग से पूर्व कराना आवश्यक है । ताकि काउंसिलिंग के समय असुविधा न हो । जाति सत्यापन के लिए निम्न दस्तावेजो की आवश्यकता होती है –

1. स्थायी जाति प्रमाणपत्र 2. मिसल रिकार्ड 3. वंशावली की जानकारी आदि

पूर्ण जानकारी के लिये उपरोक्त कार्यालय के दूरभाष–0771–2262606,2262633 पर संपर्क किया जा सकता है

टिप्पणी –

(अ) विभिन्न आरक्षित प्रवर्गों में से अभ्यर्थी केवल एक ही प्रवर्ग में आरक्षण का दावा कर सकता है ।

(ब) जिस प्रवर्ग में प्रवेश हेतु दावा किया जा रहा हो, उम्मीदवार को उससे संबंधित प्रमाण पत्र इस नियम पुस्तिका में दिये गये निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य है ।

(स) उम्मीदवार द्वारा प्रवर्ग तथा वर्ग में आरक्षण हेतु विकल्प प्रस्तुत करने के बाद किसी भी स्थिति में उसे निरस्त या उसमें परिवर्तन नहीं किया जावेगा ।

2.5.2 क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation)

'सैनिक वर्ग' 'स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग' *निःशक्तता से बाधित अभ्यर्थियों के लिये*

शासकीय पॉलीटेकनिक संस्थाओं की सीटों में प्रत्येक प्रवर्ग हेतु आरक्षित सीटों एवं अनारक्षित सीटों के विरूद्ध पुनः 'सैनिक' (S) 'स्वतंत्रता संग्राम सेनानी' (FF), *निःशक्तता से बाधित वर्ग* के उम्मीदवारों के लिए क्रमशः 5, 3 व 3 प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं । ऐसी आरक्षित सीटों का ब्यौरा तालिका 2 में दिया गया है ।

2.5.2.1 सैनिक वर्ग

सैनिक वर्ग में प्रतिरक्षा कर्मचारियों के रूप में सेवा कर चुके भूतपूर्व सैनिक, तथा ऐसे प्रतिरक्षा कर्मचारी हैं जो सेवा के दौरान स्थाई रूप से विकलांग हो गये हों अथवा जिनकी सेवा के दौरान मृत्यु हो चुकी हो । इस वर्ग के अंतर्गत प्रवेश हेतु दावा करने वाले अभ्यर्थी को इस नियम पुस्तिका में दिये गये निर्धारित प्रारूप 3 (अ) में जिला सैनिक कल्याण अधिकारी अथवा *ऑफिसर कमांडिंग* द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा । भूतपूर्व सैनिक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो भारत सरकार रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गयी भूतपूर्व सैनिक की परिभाषा के अंतर्गत आता है । इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी को प्रारूप 6 में छत्तीसगढ़ का वास्तविक निवासी प्रमाणपत्र जमा करना होगा ।

जो भूतपूर्व सैनिक स्थायी रूप से छत्तीसगढ़ में व्यवस्थापित हो गये हैं उन्हें नियम पुस्तिका के प्रारूप 3 (ब) में प्रमाण पत्र जमा करना होगा ।

छत्तीसगढ़ के बाहर पदस्थ छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी प्रतिरक्षा कार्मिक की संतान होने के कारण प्रवेश का दावा करने वाले अभ्यर्थी को प्रारूप 3(स) एवं 6 दोनो प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने होंगे ।

प्रवेश की तिथि के पूर्व से छत्तीसगढ़ में पदस्थ प्रतिरक्षा कार्मिक की संतान होने के फलस्वरूप प्रवेश का दावा करने वाले अभ्यर्थी को तत्संबंधी प्रमाण पत्र (जिस हेतु क्रमशः संलग्न प्रारूप 6 का उपयोग किया जा सकता है) प्रस्तुत करना होगा। किसी अभ्यर्थी की सैनिक वर्ग के अंतर्गत पात्रता के संबंध में किसी संदेह अथवा विवाद की स्थिति में संचालक सैनिक कल्याण छत्तीसगढ़ द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा ।

टीपः 1. होमगार्ड, पुलिस, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्युरिटी फोर्स आदि जो सैनिक की परिभाषा में नहीं आते, सैनिक वर्ग में प्रवेश हेतु पात्र नहीं होंगे ।

2. छत्तीसगढ़ राज्य में पदस्थ/कार्यरत सेट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के कार्मिकों, छत्तीसगढ़ में नक्सलवादी गतिविधियों के दौरान सेट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के शहीद हो गये कार्मिकों को भी सैनिक वर्ग के समान मानते हुये उनके संतानों को भी इस संबंध में सक्षम अधिकारी से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर सैनिक के अंतर्गत आरक्षण का प्रावधान रहेगा ।

2.5.2.2 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग :—

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की उन संतानों एवं पौत्रों/पौत्रियों को प्रवेश की पात्रता होगी जो नियम 2.6.2 के अनुसार छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी होने की शर्त पूर्ण करते हैं। इस नियम के प्रयोजन के लिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से अभिप्रेत है वह व्यक्ति जिसका नाम छत्तीसगढ़ के किसी जिले के कलेक्टर कार्यालय में संधारित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की पंजी /सूची में दर्ज है ।

अथवा

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से भी है जिनका नाम अविभाजित मध्यप्रदेश के किसी भी जिले (भले ही वे वर्तमान मध्यप्रदेश के जिले हों) के कलेक्ट्रेट में रखी गयी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की सूची में पंजीकृत है, परंतु इस संवर्ग के अंतर्गत आरक्षण का लाभ छत्तीसगढ़ शासन के शासकीय सेवक, उसकी पत्नी/पति एवं उसकी पुत्र/पुत्री को ही दिया जावेगा, जिनके पिता/माता अथवा दादा/दादी का नाम अविभाजित मध्यप्रदेश के किसी भी जिले (भले ही वे वर्तमान मध्यप्रदेश के जिले हों) की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की सूची में पंजीकृत है

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग के अंतर्गत प्रवेश हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ के संबंधित जिले के कलेक्टर से प्रारूप 4 में प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा। केवल संबंधित कलेक्टर द्वारा अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी डिप्टी कलेक्टर से अन्यून स्तर के राजस्व अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र ही अभ्यर्थी का इस वर्ग का होने संबंधी एकमात्र वैध प्रमाण पत्र होगा ।

2.5.2.3 निःशक्तता से बाधित अभ्यर्थियों हेतु आरक्षण (Reservation for Persons with Disability)

ऐसे निःशक्त अभ्यर्थी जो **नियम 2.6.2** के अनुसार छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी होने की शर्त को पूर्ण करते हों उनके लिये शासकीय संस्थाओं की उपलब्ध सीटों में 3 प्रतिशत सीटों का क्षैतिज आरक्षण प्रत्येक प्रवर्ग में अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, व पिछड़ा वर्ग (*क्रीमी लेयर* को छोड़ कर) में प्रवर्गवार उपलब्ध रहेगा । यदि किसी ब्रांच में इस क्षैतिज आरक्षण के विरुद्ध निःशक्त अभ्यर्थी के अनुपलब्ध होने पर सीट रिक्त रहती है तो इस सीट को उसी प्रवर्ग के बिना वर्ग में परिवर्तित किया जा सकेगा । निःशक्तजनों को माइनिंग इंजी. में प्रवेश की पात्रता नहीं है ।

टिप्पणी: इन सीटों के विरुद्ध प्रवेश का दावा करने वाले अभ्यर्थी को जिला चिकित्सा मंडल द्वारा निःशक्तजन का प्रमाण पत्र एवं अधीक्षक भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, निःशक्तजन हेतु व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, दाना गोदाम मोटर स्टेन्ड, नेपियर टाउन, जबलपुर द्वारा जारी पाठ्यक्रम पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करने होंगे ।;दोनो प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हैं ।द्व इसलिए पहले से दोनो प्रमाणपत्र अभ्यर्थी बनवा लें । काउंसिलिंग के समय यदि प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो किसी भी स्थिति में आबंटन/प्रवेश नहीं दिया जायेगा । यदि किसी विकलांग अभ्यर्थी को

मेरिट के आधार पर न की सीट मिल रही हो तो भी उसे पुर्नवास केन्द्र का प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है । ताकि यह पता चल सके अभ्यर्थी किस ब्रांच में प्रवेश के लिये उपयुक्त है ।

2.5.2.4 **बिना वर्ग**

जो अभ्यर्थी ठीक पूर्ववर्ती तीनों वर्गो में से किसी भी वर्ग के लिए सुरक्षित सीट के विरुद्ध प्रवेश का या तो दावा न करता हो अथवा अर्हता न रखता हो अथवा अपेक्षित प्रमाण–पत्र अपेक्षित रीति में प्रस्तुत करने में असफल रहे उसे उसके संबंधित प्रवर्ग के अंतर्गत 'बिना वर्ग' के अभ्यर्थी हेतु सीटों के विरुद्ध ही प्रवेश की पात्रता होगी ।

2.5.2.5 **महिला अभ्यर्थी हेतु आरक्षण**

शासकीय सहशिक्षा पॉलिटेक्निक संस्थाओ की छत्तीसगढ़ कोटा की सीटों में प्रत्येक प्रवर्ग के अंतर्गत महिला अभ्यर्थियों के प्रवेश हेतु 30 प्रतिशत सीटों का प्रवर्गवार आरक्षण उपलब्ध रहेगा । राज्य के कन्या पॉलीटेकनिकों की सभी सीटें कन्याओं हेतु आरक्षित हैं । संस्थावार आरक्षित सीटों की संख्या संलग्न तालिका 2 में दर्शाई गई हैं । **प्रत्येक संस्था में महिला अभ्यर्थियों** के लिए आरक्षण यथासंभव संस्थावार एवं ब्रांचवार होगा । माइनिंग शाखा में केवल पुरुष अभ्यर्थी को प्रवेश की पात्रता है अतः इन सीटों में महिला आरक्षण नहीं है ।

2.5.2.6 किसी भी प्रवर्ग के अंतर्गत महिला अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर उसी प्रवर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जायेगा ।

काउंसिलिंग के समय विभिन्न उर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आबंटन का क्रम निम्नानुसार रहेगा ।

1. उर्ध्वाधर आरक्षण :– सबसे पहले अनारक्षित सीटों को भरा जायेगा एवं यदि कोई आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी को मेरिट के आधार पर अनारक्षित श्रेणी की सीट मिल जाती है तो उसे अनारक्षित की सीट ही दी जायेगी एवं यह सीट आरक्षित श्रेणी से कम नहीं की जायेगी ।
2. क्षैतिज आरक्षण :– इस प्रक्रिया में सबसे पहले आरक्षित सीट का आबंटन किया जायेगा । जब तक कि क्षैतिज आरक्षण का कोटा पूरा न हो जाये । तत्पश्चात् बिना वर्ग के अभ्यर्थियों का आबंटन किया जायेगा ।
3. उर्ध्वाधर आरक्षण के पश्चात् शेष बच गई अनारक्षित सीट के किसी वर्ग विशेष जैसे सैनिक, FF, handicap के लिये आरक्षित सीट को मेरिट के आधार पर आरक्षित प्रवर्ग जैसे SC/ST/OBC के उसी वर्ग के अभ्यर्थी को पहले आबंटित की जा सकती है ।
4. आरक्षित प्रवर्ग के सीटों जो क्षैतिज आरक्षण के कारण सैनिक FF, handicap, TS के लिये आरक्षित हैं यदि इन वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं तो इन वर्ग के सीटों को उसी प्रवर्ग के बिना वर्ग के अभ्यर्थी को मेरिट के आधार पर आबंटित किया जायेगा । इसे अन्य आरक्षित श्रेणी के आरक्षित वर्ग के लिये समायोजित नहीं किया जायेगा ।

2.5.3 **जम्मू एवं कश्मीर राज्य के विस्थापित वर्ग**

1. जम्मू एवं कश्मीर राज्य के विस्थापित व्यक्ति के पुत्र/पुत्रियों के लिये शासकीय पॉलिटेक्निक संस्थाओं में तथा निजी क्षेत्र के पॉलिटेक्निक संस्थाओं में एक–एक सीट प्रवेश क्षमता के अतिरिक्त आरक्षित है । इस वर्ग के अंतर्गत प्रवेश हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को संबंधित जिले के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) से निर्धारित प्रारूप 9 में प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा । जम्मू एवं कश्मीर राज्य के विस्थापितों के पुत्र/पुत्रियों को छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य नहीं है ।
2. इसी वर्ग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सेवा के ऐसे अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पुत्र/पुत्रियों को, जिनकी पदस्थापना जम्मू एवं कश्मीर राज्य में आतंकवादी गतिविधियों के नियंत्रण में रही हो और जिनके पुत्र/पुत्रियों ने जम्मू एवं कश्मीर राज्य से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण की हो, को भी आरक्षित स्थानों के अंतर्गत प्रवेश की पात्रता होगी । ऐसे अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रारूप 10 में प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा ।

नोटः–जम्मू काश्मीर राज्य के विस्थापित जम्मू काश्मीर राज्य के लिये आरक्षित सीटों पर प्रवेश हेतु पी.पी.टी.–2010 में सम्मिलित होना अनिवार्य नहीं है ।

2.6 प्रवेश हेतु पात्रता की शर्तें :

2.6.1 **शैक्षणिक अर्हता** : इंजीनियरिंग डिप्लोमा पाठ्यक्रमों यथा सिविल, मेकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, माइनिंग, इलेक्ट्रानिक्स, कम्प्युटर साइंस, इन्फर्मेशन टेक्नालॉजी, मेटलर्जी, इन्स्ट्रुमेंटेशन एवं प्रिंटिंग टेक्नालॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग में प्रवेश के लिए छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर के अंतर्गत 10वीं कक्षा की परीक्षा (हाई स्कूल परीक्षा) गणित एवं विज्ञान विषय के साथ उत्तीर्ण करना आवश्यक है ।

अथवा

किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड द्वारा संचालित कोई भी अन्य समकक्ष परीक्षा गणित एवं विज्ञान विषय के साथ उत्तीर्ण करना आवश्यक है ।

टीप :– गणित एवं विज्ञान विषय में पृथक–पृथक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है ।

2.6.2 **छत्तीसगढ़ के स्थानीय मूल निवासी होने की आवश्यकता**

शासकीय एवं निजी पॉलिटेक्निक संस्थाओ के सी.जी. कोटा की सीटों में केवल ऐसे अभ्यर्थियों को *(जम्मू कश्मीर राज्य के विस्थापित वर्ग के अभ्यर्थियों को छोड़कर)* प्रवेश हेतु चयन के लिए पात्रता होगी जो छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी हो । छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी छत्तीसगढ़ राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किये निर्देशों के अंतर्गत यथापरिभाषित होगा एवं नीचे अन्यथा वर्णित को छोड़ सभी अभ्यर्थियों को तहसीलदार, अतिरिक्त तहसीलदार अथवा नायब तहसीलदार अथवा वरिष्ठतर अन्य सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा समय–समय पर राज्य शासन के निर्देशों के तहत जारी छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी संबंधी प्रमाण पत्र *(प्रारूप–5)* जमा करना अनिवार्य है । इस प्रमाण पत्र में प्रकरण क्रमांक, जारी करने की तिथि व न्यायालय/कार्यालय की सील, जारीकर्ता अधिकारी के नाम व पद का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है ।

साथ ही छत्तीसगढ़ शासन के सार्वजनिक उपक्रमों, अर्धशासकीय निकायों तथा छत्तीसगढ़ के स्थानीय शासनों के सेवारत/सेवानिवृत्त कार्मिकों के राज्य में या राज्य के बाहर पदस्थ होने पर तथा प्रारूप 6 में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर उनकी संतानों को स्थानीय निवासी मान कर प्रवेश की पात्रता होगी ।

भारत सरकार के कार्मिकों, अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों, भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों के कार्मिकों एवं केन्द्रीय अर्धशासकीय निकायों में कार्यरत कार्मिकों के छत्तीसगढ़ राज्य में इन नियमों के तहत आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि के पूर्व पदस्थ होने पर तथा प्रारूप 7 में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर उनकी संतानों को भी छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी मान कर प्रवेश की पात्रता होगी ।

भारत शासन/छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्वीकृत पुनर्व्यवस्थापन योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में व्यवस्थापित पिता/माता के सन्तान भी छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी माने जायेंगे । ऐसे पुनर्व्यवस्थापित पिता/माता की सन्तानों को प्रारूप 8 में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

अभिभावक की परिभाषा :

अभिभावकों के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी अभ्यर्थी के अभिभावक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संबंधित जिला मजिस्ट्रेट (डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट) की राय में आवेदक के पिता और माता दोनों की मृत्यु के बाद से आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि तक उसका अथवा उसकी अचल संपत्ति का अथवा दोनो का वास्तविक संरक्षक/नियंत्रक हो । अभिभावक होने के संबंध में सक्षम न्यायालय से तदाशय का आदेश प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा । यदि अभ्यर्थी के पिता जीवित न हो परंतु माता जीवित हों तो माता को ही अभ्यर्थी का स्वाभाविक अभिभावक माना जाएगा और अन्य किसी व्यक्ति का अभिभावक के रूप में मान्यता नहीं होगी ।

दत्तक संतान के विषय में स्पष्टीकरण :

दत्तक संतानों के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि यदि कोई आवेदक अनारक्षित अथवा आरक्षित प्रवर्ग में दत्तक संतान के आधार पर प्रवेश चाहे तो उसे दत्तक संतान होने के संबंध में समाधान कारक प्रमाण प्रस्तुत करना होगा जो प्रवेश के लिये आवेदन की निर्धारित अंतिम तिथि के कम से कम पांच वर्ष पूर्व निष्पादित वैध दत्तकनामा

(ॲडॉप्शन डीड) होगा, दत्तकनामा तब तक मान्य नहीं किया जाएगा जब तक उसकी संपुष्टि विद्यालय/महाविद्यालय के अभिलेख तथा उच्च माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक अथवा गत पांच वर्षो में आवेदक द्वारा उत्तीर्ण किसी परीक्षा के प्रमाण पत्र से नहीं हो जाती है । इन नियमों के अंतर्गत प्रवेश की पात्रता के लिये उपर वर्णित अभिलेख में दर्ज आवेदक के पिता/माता का नाम ही केवल मान्य होगा । इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के दत्तक आवेदको के मामलों में आवश्यक होगा कि ऐसे आवेदक गोद लिये जाने के पूर्व भी क्रमशः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के ही रहें हों । ऐसे आवेदक जो मूलतः अन्य जाति के हों तथा उन्हें किन्ही अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों ने गोद लिया हो, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आवेदक को प्राप्त सुविधा एवं लाभ के पात्र नहीं होगें ।

2.6.3 **आयु सीमाः–** डिप्लोमा स्तर पर प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु दिनांक 01.07.2010 को अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष है । छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़े वर्ग/विकलांग विद्यार्थियों/महिला आवेदकों के लिये आयु सीमा में अधिकतम तीन वर्ष की छूट रहेगी । माइनिंग इंजीनियरिंग में प्रवेश हेतु दिनांक 01.07.2010 को छात्र की आयु न्यूनतम 17 वर्ष होनी चाहिये ।

आयु सीमा का यह बंधन किसी भी राज्य सरकार/भारत सरकार के मंत्रालय/कार्यालय तथा उनके द्वारा नियंत्रित संस्थाओं द्वारा प्रायोजित व अनुशंसित प्रत्याशियों, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित अथवा किसी विदेश सरकार द्वारा अनुशंसित विदेश से अध्ययन हेतु भेजे गये छात्रों पर लागू नहीं होगा ।

2.7 प्रवेश हेतु चयन पद्धति

2.7.1 प्रतियोगी परीक्षा–पी.पी.टी.

डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों के चयन के लिये छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा गणित एवं विज्ञान विषयों में प्रवेश परीक्षा पी.पी.टी.–2010 आयोजित की जायेगी । जो अभ्यर्थी पॉलीटेकनिक संस्थाओं में प्रवेश लेना चाहता है । उन्हें इस चयन परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य है । छ.ग. राज्य कोटा, अन्य राज्य कोटा के साथ मैनेजमेंट कोटा में भी प्रवेश पी.पी.टी. – 2010 के मेरिट के आधार पर ही होगें । अतः अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को भी पी.पी.टी. में सम्मिलित होना अनिवार्य है ।

2.7.2 पी.पी.टी. 2010 की मेरिट का निर्धारण

डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्रता के लिये अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा आयोजित पी.पी.टी. 2010 परीक्षा के गणित एवं विज्ञान विषयों में सम्मिलित होना आवश्यक है । पी.पी.टी. – 2010 की परीक्षा में अभ्यर्थियों की गणित एवं विज्ञान विषयों में प्राप्त सकल अंकों के अधिकतम अंकों के अवरोही क्रम में सम्मिलित प्रावीण्यता सूची तैयार की जावेगी । अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) प्रवर्गो के लिये अलग–अलग प्रावीण्यता सूचियां तैयार की जायेंगी, इन प्रावीण्यता सूचियों से प्रवेश, परामर्श (काउंसिलिंग) द्वारा दिया जायेगा ।

समान कुलांक प्राप्त परीक्षार्थियों की प्रावीण्यता – समान कुलांक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की प्रावीण्यता विषयों की महत्ता के निम्नलिखित क्रम में उनके प्राप्तांकों को आधार बनाकर निश्चित की जाएगी

प्रथम गणित (Maths), द्वितीय अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को दी जाएगी । उम्र भी समान होने की स्थिति में दसवीं में अधिक अंक (कुल अंक) प्राप्त अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी ।

2.8 प्रवेश प्रक्रिया (Admission Procedure)

2.8.1 अभ्यर्थियों द्वारा पी.पी.टी. 2010 में प्राप्तांकों के आधार पर छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा तैयार की गई प्राविण्यता क्रम सूचियों के अनुसार अभ्यर्थियों को प्रवेश परामर्श (काउंसिलिंग) द्वारा दिया जायेगा । काउंसिलिंग समिति सक्षम प्राधिकारी द्वारा गठित की जाएगी ।

काउंसिलिंग हेतु उपस्थित होने के लिए काउंसिलिंग की तिथियां छत्तीसगढ़ के समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाएगी । अतः पी.पी.टी. 2010 का परीक्षा परिणाम घोषित होने के पश्चात काउंसिलिंग की तिथियों की जानकारी हेतु अभ्यर्थी रोजगार नियोजन समाचार पत्रिका एवं छत्तीसगढ़ के प्रमुख समाचार पत्रों के अंक प्रतिदिन आवश्यक रूप से देखते रहें । यह जानकारी तकनीकी शिक्षा संचालनालय की अधिकृत वेबसाइट www.cgdteraipur.ac.in में भी देखी जा सकती है । **इस संबंध में अभ्यर्थियों को अलग से कोई सूचना नहीं भेजी जायेगी ।**

काउंसिलिंग के समय अभ्यर्थी 10वीं उर्त्तीण होना चाहिये । 10वीं अनुर्त्तीण या पूरक (कम्पार्टमेंट) के अभ्यर्थी काउंसिलिंग के पात्र नहीं होंगे ।

2.8.2 काउंसिलिंग हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी को काउंसिलिंग फार्म प्रारूप 11 पूर्ण रूप से भरकर तथा उसमें उल्लेखित सभी आवश्यक मूल प्रमाण पत्र/दस्तावेज तथा प्रत्येक की एक फोटो प्रति सहित तथा फीस की अग्रिम राशि के भुगतान के रूप में 2000/– रुपये (दो हजार) का *चालान* संचालक, तकनीकी शिक्षा, छत्तीसगढ़ के नाम से भारतीय स्टेट बैंक के खाता क्रमांक 31077008863 में जमा कर चालान की स्लिप साथ में लाना अनिवार्य है । देश के किसी भी भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में यह चालान जमा किया जा सकता है । चालान केवल भारतीय स्टेट बैंक में जमा किया जाना है, अन्य बैंक का चालान मान्य नहीं होगा । चालान का फार्म इस पुस्तिका के अंत में दिया हुआ है । इसकी 04 प्रति में से 01 प्रति बैंक में जमा हो जायेगी, 01 प्रति अभ्यर्थी को अपने पास सुरक्षित रखना है । शेष 02 प्रतियों को काउंसिलिंग के समय लेकर आना है जिसमें से संस्था की प्रति को फाइल में लगाना है जबकि संचालनालय की प्रति को रजिस्ट्रेशन के समय जमा करना है ।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिये अग्रिम फीस – छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग के अभ्यर्थियों जिनके पास स्थायी जाति प्रमाण पत्र है, को चालान जमा करने की आवश्यकता नहीं है । तथापि संस्थाओं में शिक्षण शुल्क देय होगी । आय के अनुसार रियायत मिलेगी/शिक्षण शुल्क में छूट रहेगी । इस विषय में आदिम जाति कल्याण विभाग के नियम बंधनकारी होंगे ।

अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये अग्रिम फीस – अन्य पिछड़ा वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिनके माता, पिता, अभिभावकों की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय रु. 25,000.00 या उससे कम हो, इस आशय का प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर शासकीय पॉलीटेकनिक संस्थाओं में प्रवेश लेने की स्थिति में रु. 2,000.00 का चालान जमा करना अनिवार्य नहीं है । परन्तु निजी संस्थाओं में प्रवेश लेने पर रू. 2,000.00 का चालान जमा करना आवश्यक होगा ।

प्रवेशित संस्था द्वारा ऐसे छात्रों की शिक्षण शुल्क की वापसी हेतु आदिम जाति कल्याण विभाग को छात्रों से प्राप्त आवेदनों के प्रस्ताव भेजे जायेगें । आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा आय प्रमाण पत्रों की जांच उपरांत शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाती है ।

टीप :– क्योंकि छात्र को यह मालूम नहीं रहता कि उसे शासकीय संस्था में प्रवेश मिल सकता है या नहीं । अतः अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को सलाह दी जाती है कि जिनकी आय रू. 25,000/– से कम हैं वे भी रू. 2,000/– का चालान जमा करके आयें । यदि उनका प्रवेश शासकीय संस्था में होता है तो उन्हें यह राशि चेक द्वारा वापस कर दी जायेगी ।

बी.पी.एल. के लिये अग्रिम फीस – बी.पी.एल. परिवार में आने वाले अभ्यर्थी को बी.पी.एल. कार्ड प्रस्तुत करने पर रू. 2,000/– का अग्रिम चालान जमा करने की आवश्यकता नहीं है परंतु इस वर्ग के छात्रों के लिये किसी प्रकार की फीस में छूट नहीं है । संस्था में प्रवेश के समय संपूर्ण फीस जमा करना होगा ।

2.8.3 काउंसिलिंग के दौरान प्रवेश की पात्रता रखने वाले अभ्यर्थियों को उनके योग्यताक्रमानुसार सीट/संस्था/ब्रांच में प्रवेश की संभावनायें बताई जायेगी जिसका चयन वे उपलब्धता के आधार पर इच्छानुसार कर सकेंगे एवं तदनुसार आवंटन किया जावेगा । अभ्यर्थियों को प्रवेश की समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करते हुए प्रवेश लेना होगा । फीस की शेष राशि अभ्यर्थी को प्रवेशित संस्था में जमा करने पर ही प्रवेश सम्पन्न माना जावेगा । संस्था में मूल प्रमाण पत्र जमा नहीं किया जाना है । निर्धारित तिथि तक प्रवेश नहीं लेने पर आबंटन स्वमेव निरस्त माना जायेगा ।

2.8.4 यदि अभ्यर्थी काउंसिलिंग हेतु उपस्थित होने में असमर्थ रहता है या काउंसिलिंग के समय आवश्यक प्रमाण पत्र/दस्तावेज निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो वह अपनी योग्यताक्रमानुसार संस्था/ब्रांच के चयन का अवसर

खो देगा तथा बाद में परामर्श की अवधि के दौरान उपस्थित होने पर उसे प्रवेश देने के संबंध में गिर किया जा सकेगा। ऐसी स्थिति में जिस दिन भी वह उपस्थित होगा उसे उस दिन उपलब्ध सीट/संस्था/ब्रांच में ही प्रवेश देने के संबंध में गिर किया जा सकेगा । यदि अभ्यर्थी काउंसिलिंग की अंतिम तिथि के दिन भी उपस्थित नहीं होता है तो यह मान लिया जाएगा कि वह किसी भी सीट/संस्था/ब्रांच में प्रवेश लेने का इच्छुक नहीं है और इस प्रकार वह अपने प्रवेश का अधिकार खो देगा । प्रथम काउंसिलिंग के पश्चात यदि द्वितीय एवं उसके पश्चात भी काउंसिलिंग कराई जाती है तब पूर्व में कराई गई काउंसिलिंग में अनुपस्थित, प्रवेश हेतु अनिच्छुक छात्र भी काउंसिलिंग में सम्मिलित हो सकते हैं ।

2.8.5 **गंभीर बीमारीः—**यदि कोई अभ्यर्थी गंभीर बीमारी या दुर्घटना के कारण अस्पताल में भर्ती होने के कारण नियत तिथि पर उपस्थित रहने में असमर्थ है और वे इस आशय का चिकित्सा प्रमाण पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन से प्राप्त कर प्रस्तुत करते है,तो उनके पिता/अभिभावक जिन्हें अभ्यर्थी द्वारा अधिकृत किया है, उसके स्थान पर *काउंसिलिंग* में सम्मिलित हो सकेंगे । ऐसे अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश लेने के उपरांत यदि दस्तावेजों के प्रवेशित संस्था के स्तर पर सत्यापन के समय यदि यह पाया जाता है कि उसके द्वारा गलत जानकारी दी गई है तो उसका प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा और संबंधित के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही के लिए विभाग सक्षम होगा ।

2.8.6 पी.पी.टी. परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर आरक्षित प्रवर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जो अनारक्षित प्रवर्ग की योग्यताक्रम सूची में स्थान प्राप्त करेंगे उनकी गणना अनारक्षित प्रवर्ग में की जाएगी । ऐसे अभ्यर्थी अपनी इच्छानुसार अनारक्षित प्रवर्ग अथवा संबंधित आरक्षित प्रवर्ग के अंतर्गत उपलब्ध संस्था/ब्रांच का चयन प्रावीण्यता के आधार पर कर सकेंगे ।

टिप्पणी (अ) अनारक्षित प्रवर्ग की योग्यताक्रम सूची से तात्पर्य ऐसी सूची से होगा जिसमें सम्मिलित अभ्यर्थियों की संख्या उन सभी सीटों के अंतर्गत अनारक्षित प्रवर्ग की सीटों की संख्या के योग के बराबर होगी, जिनमें विभिन्न आरक्षित श्रेणियों के अंतर्गत आरक्षण का प्रावधान है ।

(ब) जिन सीटों में किसी आरक्षित प्रवर्ग/वर्ग के अंतर्गत आरक्षण का प्रावधान नहीं है उन सीटों के विरुद्ध प्रवेश हेतु उस आरक्षित प्रवर्ग/वर्ग के अभ्यर्थियों की गणना अनारक्षित प्रवर्ग/बिना वर्ग में की जाकर उन्हें प्रावीण्यता के आधार पर अनारक्षित प्रवर्ग/बिना वर्ग के अंतर्गत प्रवेश दिया जा सकेगा

2.8.7 (अ) किसी भी आरक्षित प्रवर्ग के अंतर्गत सैनिक (S), स्वतंत्रता संग्राम सेनानी (FF) तथा निःशक्तता से बाधित वर्ग में प्रवेश हेतु पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर रिक्त स्थानों को उसी आरक्षित प्रवर्ग के बिना वर्ग (X) में परिवर्तित कर भरा जाएगा । परंतु अनारक्षित प्रवर्ग के अंतर्गत सैनिक (S), स्वतंत्रता संग्राम सेनानी (FF) तथा निःशक्तता से बाधित वर्ग के लिये आरक्षित सीट को मेरिट के आधार पर आरक्षित प्रवर्ग के आने वाले सैनिक (S), स्वतंत्रता संग्राम सेनानी (FF) तथा निःशक्तता से बाधित वर्ग के अभ्यर्थी को भी आबंटन किया जायेगा ।

(ब) किसी भी प्रवर्ग के अंतर्गत बिना वर्ग में प्रवेश हेतु पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर रिक्त स्थानों को निम्नानुसार अन्य प्रवर्ग में परिवर्तित कर भरा जाएगा ।

अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग (ST) के लिये आरक्षित रिक्त स्थान अनुसूचित जाति (SC) के अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे । इसी प्रकार अनुसूचित जाति (SC) के लिये आरक्षित रिक्त स्थान अनुसूचित जनजाति (ST) के अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे । इन दोनों प्रवर्गों के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर इन प्रवर्गों के रिक्त स्थानों को अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) प्रवर्ग के अभ्यर्थियों से भरा जाएगा । जब इन तीनों प्रवर्गों के अभ्यर्थी उपरोक्तानुसार उपलब्ध न होने पर रिक्त स्थान अनारक्षित प्रवर्ग के अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे ।

2.8.8 एक बार अभ्यर्थी *काउंसिलिंग* के माध्यम से किसी पाठ्यक्रम/संस्था/ब्रांच में आबंटन प्राप्त कर लेता है अथवा प्रवेश ले लेता है तो बाद में उसे पाठ्यक्रम/संस्था/ब्रांच में परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी । तथापि अभ्यर्थी अन्य संस्थाओं में प्रवेशित छात्रों द्वारा अपना प्रवेश निरस्त करवा लेने से अथवा अन्य किन्हीं कारणों से रिक्त होने वाली सीटों के विरुद्ध नियम 2.8.11 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार प्रवेश ले सकता है परंतु ऐसे अभ्यर्थी को अन्य संस्थाओं की रिक्त सीटों के विरुद्ध प्रवेश लेने के पूर्व प्रवेशित संस्था से अपना प्रवेश निरस्त करवाना आवश्यक होगा ।

2.8.9 **छात्र द्वारा आबंटन/प्रवेश निरस्त कराने पर फीस वापसी के नियम –**

1. काउंसिलिंग के दौरान अपना आबंटन/प्रवेश रद्द करवाने पर रू. 200/– की कटौती (संचालनालय द्वारा) के पश्चात् रू. 1800/– की वापसी चेक द्वारा की जायेगी । जिन अभ्यर्थियों ने (SC/ST/OBC) रू. 2,000/– के चालान जमा नहीं किये हैं उनको आबंटन निरस्त करने के शुल्क के रूप में रू. 200/– का चालान ''संचालक, तकनीकी शिक्षा, छत्तीसगढ़'' के नाम से भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी शाखा में जमा करना पड़ेगा ।

2. काउंसिलिंग द्वारा आबंटन के पश्चात् यदि अभ्यर्थी संस्था में प्रवेश नहीं लेता है तो भी उससे उपरोक्त बिन्दु – 1 के समान ही कटौती की जायेगी ।

3. काउंसिलिंग द्वारा आबंटन के पश्चात् यदि अभ्यर्थी संस्था में प्रवेश प्राप्त कर लेता है एवं उसके पश्चात् अपना प्रवेश निरस्त कराता है तो उससे रू. 200/– की कटौती संचालनालय द्वारा तथा प्रवेश तिथि से निरस्त की तिथि तक शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क तथा विकास शुल्क (Tuition & Other Fees and DevelXment Fees) की आनुपातिक राशि की कटौती संस्था द्वारा की जायेगी एवं शेष राशि अभ्यर्थी को संस्था द्वारा वापस की जायेगी । कॉशन मनी पूरी वापस की जायेगी । आनुपातिक का अर्थ है संबंधित विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कैलेण्डर द्वारा निर्धारित किसी शैक्षणिक सत्र/सेमेस्टर के कुल दिनों के लिये फीस मानी जायेगी एवं तद्नुसार छात्र के प्रवेशित तिथि से लेकर प्रवेश निरस्त करने की तिथि को प्रति दिवस फीस से गुणा करके कटौती की जायेगी (Deductable Fees = No. of admitted days * Total fees/ No. of days of Semester as declared by University) A

4. प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात् प्रवेश निरस्त कराने पर फीस वापसी फीस विनियामक समिति/राज्य शासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार की जायेगी ।

2.8.10 केन्द्रीय *काउंसिलिंग* संचालनालय तकनीकी शिक्षा द्वारा या शासन द्वारा यथा निर्दिष्ट एजेंसी द्वारा की जायेगी । केन्द्रीय काउंसिलिंग की अंतिम तिथि सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित की जाएगी, केन्द्रीय काउंसिलिंग के पश्चात यदि संस्थाओं में सीटें रिक्त रहती है तब शासन के निर्देशों के पश्चात एवं आवश्यक हो तभी संस्था स्तर पर काउंसिलिंग निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार शासन के तत्संबंध में संस्था को आदेश प्राप्त होने पर ही की जा सकती है । प्रवेश की यह कार्यवाही संबंधित संस्थाओं द्वारा घोषित एक निश्चित तिथि को *काउंसिलिंग* द्वारा प्रावीण्यता के आधार पर की जाएगी । संबंधित संस्थाओं द्वारा प्रवेश की कार्यवाही संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश की अंतिम तिथि तक पूर्ण कर ली जाएगी । इस तिथि के बाद किसी भी संस्था में किसी भी कोटे के अंतर्गत प्रवेश नहीं दिया जायेगा । इसके बाद भी यदि कोई अभ्यर्थी प्रवेश लेता है या कोई संस्था प्रवेश देती है तो इस प्रकार के मामले में तकनीकी शिक्षा संचालनालय की कोई जबावदारी नहीं होगी ।

2.8.11 संस्थाओं में प्रवेशित छात्रों द्वारा अपना प्रवेश निरस्त करवा लेने से या किन्हीं अन्य कारणों से रिक्त हुई सीटों, काउंसिलिंग के दौरान बढ़ी हुई सीटों के विरुद्ध प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को बिना ब्रांच (ब) के प्रवेश दिया जाएगा । ब्रांच का आबंटन संबंधित संस्था के प्राचार्य द्वारा उनकी प्रावीण्यता के आधार पर किया जाएगा । प्राचार्य संस्था में पूर्व प्रवेशित छात्रों की प्रावीण्यता के आधार पर रिक्त ब्रांचों में प्रवेश की कार्यवाही करेंगे और उसके कारण तदानुसार अन्य ब्रांचों में हुई रिक्तियों को इसी प्रकार भरे जाने की प्रक्रिया तब तक जारी रखेंगे जब तक कि उस संस्था के उच्च प्रावीण्यता अंक प्राप्त छात्र ब्रांच आबंटन के लिये अपने विकल्प का उपयोग नहीं कर लेते इसके पश्चात ही बची हुई रिक्त सीटों के विरुद्ध पश्चात्वर्ती प्रवेशित अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर सीट (ब्रांच) आबंटित की जा सकेगी । संस्था द्वारा की जाने वाली ब्रांच आबंटन की इस प्रक्रिया में किसी छात्र को किसी भी प्रकार की आपत्ति होने की स्थिति में वह सक्षम प्राधिकारी को दिनांक 31 अक्टूबर, 2010 तक अपील कर सकेगा ।

2.9 **संचालनालय/संस्था द्वारा प्रवेश रद्द करना** – यदि यह पाया गया कि कोई अभ्यर्थी किसी संस्था में झूठी/गलत सूचना देकर या सुसंगत तथ्यों को छुपाकर प्रवेश पा लेने में सफल हो गया है या प्रवेश के पश्चात किसी भी समय यह पाया गया कि अभ्यर्थी को किसी गलती या चूकवश प्रवेश मिल गया है तो अभ्यर्थी को दिया गया प्रवेश संस्था द्वारा उसके अध्ययनकाल के दौरान तुरंत बिना सूचना के रद्द किया जा सकेगा प्रवेश संबंधी किसी भी विवाद या शंका पर तकनीकी शिक्षा संचालक छत्तीसगढ़ द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा ।

2.10 अभ्यर्थियों के प्रवेश हेतु चयन संबंधी नीतियों के प्रश्नों पर तथा प्रवेश नियमों के अर्थ लगाने संबंधी कोई प्रश्न उपस्थित होने पर छत्तीसगढ़ राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा । छत्तीसगढ़ राज्य शासन प्रवेश के किसी भी

नियम/प्रक्रिया में किसी भी समय जनहित में आवश्यकतानुसार संशोधन करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है तथा इस तरह किया गया कोई भी संशोधन बंधनकारी होगा ।

2.11 काउंसिलिंग प्रक्रिया द्वारा प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण हो जाने के पश्चात छत्तीसगढ़ राज्य शासन अपना यह अधिकार सुरक्षित रखता है कि वह शासकीय पॉलीटेकनिकों में प्रवेशित सीटों के विरूद्ध प्रवेशित किसी भी छात्र/छात्राओं को एक संस्था से दूसरी संस्था में स्थानांतरित करें, चाहे उसके मेरिट अंक कुछ भी हो । ऐसे प्रकरण किसी भी परिस्थिति में प्रत्येक पॉलीटेकनिक में 4 सीटों से अधिक नहीं होगे तथा इस प्रकार स्थानांतरित छात्र/छात्रा को इंजीनियरिंग की वही ब्रांच मिलेगी जिसमें उसने काउंसिलिंग के माध्यम से पूर्व में प्रवेश लिया होगा । ऐसी स्थानांतरित सीटें पूर्व की संस्था में रिक्त नहीं मानी जाएंगी ।स्थानांतरण केवल प्रथम वर्ष के लिए होगा । द्वितीय वर्ष में स्थानांतरण रिक्त सीटों की स्थिति के अनुसार मेरिट के आधार पर होगें एंव अंतिम वर्ष में स्थानांतरण नहीं हो सकेंगे । यदि पृथक से स्थानांतरण नीति शासन/ संचालनालय द्वारा जारी की जाती है तो वह लागू रहेगी ।

2.12 **शिक्षण शुल्क–**

अ. शासकीय संस्था हेतु –

क्रमांक	प्रवर्ग का विवरण	वार्षिक आय सीमा (रूपये) समस्त स्त्रोतों से	वार्षिक शिक्षण शुल्क एवं विकास शुल्क
1	अनारक्षित प्रवर्ग	निरंक	रू. 5000/–
2	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग के अभ्यर्थी जिनके माता/पिता/अभिभावक की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय	(अ) 200000 दो लाख तक है	देय नहीं (प्रतिपूर्ति होगा)
		(ब) 200000 से अधिक किन्तु 250000 मे	पचास प्रतिशत शुल्क देय है (शेष प्रतिपूर्ति होगा)
		(स) 250000 से अधिक	पूरा शुल्क देय है ।
3	अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी जिनके माता/पिता/अभिभावक की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय	(अ) 25000/– तक है	देय नहीं (प्रतिपूर्ति होगा)
		(ब) 25000/– से अधिक	पूरा शुल्क देय है ।

टिप्पणी : सत्र 2009–10 के लिये शिक्षण शुल्क रूपये 5000/– प्रतिवर्ष लागू था, वर्ष 2010–11 के लिये शासन यदि कोई परिवर्तन करता है तो वह लागू होगा । उपरोक्त शिक्षण शुल्क एवं विकास शुल्क के अतिरिक्त लगभग रू. 1000/– अन्य फीस भी देय है ।

(ब) **निजी संस्था हेतु** – छत्तीसगढ़ निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम 2008 के अंतर्गत गठित की गई प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति द्वारा सत्र 2010–11 की फीस की निर्धारण की प्रक्रिया जारी है । समिति द्वारा अंतिम फीस निर्धारण के पश्चात् शासन द्वारा अंतिम फीस की आदेश जारी की जायेगी तद्नुसार फीस देय होगा । जैसे ही इस संबंध में शासन द्वारा आदेश जारी किया जायेगा इसकी जानकारी वेबसाइट में उपलब्ध करा दी जायेगी ।

2.13 **काउंसिलिंग शुल्क–** संचालनालय द्वारा आयोजित कांउसिलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित होने के इच्छुक निजी संस्थाओं को इस हेतु निर्धारित शुल्क रूपये 500.00 (पांच सौ रूपये मात्र) प्रतिछात्र की दर से काउंसलिंग हेतु उपलब्ध सीटों पर देय होगा ।

2.14 ट्यूशन फी वेव्हर योजना– Tution Fee Waiver (TFW) Scheme

2.14.1 यह योजना ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं एवं डिप्लोमा स्तर तक अनुमोदित पाठ्यक्रम के लिये लागू होगी

2.14.2 यह योजना राज्य के समस्त शासकीय सहशिक्षा एवं कन्या पॉलिटेक्निको में लागू होगी ।

2.14.3 निजी संस्थाओं के लिये इस हेतु एआईसीटीई से पृथक से अनुमोदन मिलने पर लागू होगी ।

2.14.4 अभ्यर्थियों को इस योजना का लाभ संबंधित संस्थाओं में उसी स्थिति में प्राप्त हो सकेगा जब संबंधित ब्रांच की स्वीकृत प्रवेश क्षमता के उपरांत अतिरिक्त सीटों में (अधिकतम दस प्रतिशत सीटों पर) प्रवेश हो । अतिरिक्त प्रवेशित संख्या के बराबर TFW नियमानुसार सी.जी. पी.पी.टी. मेरिट के आधार पर देय होगी । उदाहरणार्थ– यदि किसी संस्था की किसी ब्रांच में स्वीकृत प्रवेश क्षमता 60 है और कुल प्रवेश 66 छात्रों का होता है तो 6 अभ्यर्थियों को ही TFW जायेगा । किंतु यदि किसी ब्रांच में 60 प्रवेश क्षमता है ओर उसमें 63 अभ्यर्थियों का प्रवेश होता है तो केवल 3 अभ्यर्थी ही फी वेव्हर स्कीम का लाभ उठा सकेंगे । प्रवेश क्षमता से कम प्रवेश होने पर TFW देने की बाध्यता नहीं होगी । तथापित कोई संस्था स्वेच्छा से TFW देने के लिये स्वतंत्र होगी ।

हर 60 प्रवेश क्षमता के पीछे 01 शारीरिक रूप से विकलांग छात्र को एवं 03 छात्राओं को तथा 02 अन्य को मेरिट के आधार पर देय होगी । इस हेतु छात्र के पालक/अभिभावक की आय समस्त श्रोतों से वार्षिक आय रू. 2.5 लाख से अधिक नहीं होना चाहिये ।

टीपः महिला कोटा एवं निःशक्तजन कोटा के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन कोटा की सीटों को अन्य कोटे में मेरिट के आधार पर दिया जायेगा ।

2.14.5 फी वेव्हर के प्रस्ताव संस्थाओं द्वारा संचालनालय को भेजे जायेंगे संचालनालय में परीक्षण के उपरांत अनुमोदन दिया जायेगा ।

2.14.6 जिन अभ्यर्थियों को TFW स्वीकृति प्राप्त होगी उनके द्वारा प्रवेश के समय जमा की गयी शिक्षण शुल्क की राशि संस्था द्वारा वापस की जायेगी ।

2.14.7 आय प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी तहसीलदार/नायब तहसीलदार या उससे उच्च स्तर के अधिकारी द्वारा जारी किया गया ही मान्य किया जायेगा । आय की गणना समस्त श्रोतो से की जानी चाहिये ।

2.14.8 ट्यूशन फी वेव्हर प्राप्त अभ्यर्थी को ब्रांच एवं संस्था परिवर्तन की अनुमति नहीं रहेगी । संस्था परिवर्तन पर, ब्रांच परिवर्तन पर या पी.पी.टी. सीटे छोड़ने पर फी वेव्हर की पात्रता समाप्त हो जायेगी । यदि बाद में प्रवेशित छात्र का मेरिट फी वेव्हर की अन्य आवश्यकताओं को पूर्ण करते हुए पूर्व प्रवेशित छात्र से उपर है तो ऐसे उच्च मेरिट वाले अभ्यर्थी को फी वेव्हर की पात्रता होगी ।

2.14.9 एक बार स्वीकृत की गयी फी वेव्हर पूरे पाठ्यक्रम के लिये लागू होगी ।

2.14.10 फी वेव्हर जिन अभ्यर्थियों को स्वीकृत की जायेगी वे यदि योग्यता रखते है तो उनकी छात्रवृत्ति की पात्रता भी बनी रहेगी ।

2.14.11 फी वेव्हर स्कीम के अंतर्गत केवल शिक्षण शुल्क माफ होगा किंतु संस्था में ली जाने वाले अन्य फीस देय होगी ।

2.14.12 विवाद की स्थिति में संचालक तकनीकी शिक्षा का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा ।

2.15 रैंगिंग

2.15.1 परिभाषाः– रैगिंग से अभिप्रेत है किसी छात्र को मजाकपूर्ण व्यवहार से या अन्य प्रकार से उत्प्रेरित, बाध्य या मजबूर करना जिससे उसके मानवीय मूल्यों का हनन या उसके व्यक्तित्व का अपमान या उपहास अभिदर्शित होता हो या किसी विधिपूर्ण कार्य करने से प्रविरत करना, आपराधिक, दोषपूर्ण अवरोध, दोषपूर्ण परिरोध, या उसे क्षति पहुँचाना या उस पर आपराधिक बल के प्रयोग द्वारा या ऐसी आपराधिक धमकी, दोषपूर्ण अवरोध, दोषपूर्ण परिरोध, क्षति या आपराधिक बल प्रयोग करना ।

2.15.2 रैंगिंग का प्रतिशेध :– किसी शैक्षणिक संस्था का छात्र या तो प्रत्यक्षतः या परोक्ष या अन्य प्रकार से रैगिंग में भाग नहीं लेगा ।

2.15.3 दण्ड :—यदि कोई व्यक्ति रैंगिग के प्रतिशेध के उपबधों ता है तो वह या तो कारावास से जो 05 वर्ष से अधिक नहीं होगी या जुर्माने से जो 5 हजार रूपये से अधिक नहीं होगी या दोनों से दंडित किया जा सकेगा । इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध संज्ञेय अजमानतीय एवं अप्रशमनीय होगा.

2.15.4 अपराधों का गिरण :—

इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध का गिरण प्रथम वर्ग न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा किया जायेगा ।

2.15.5 छात्र के निष्कासन के लिये निर्योग्यता :—

इस अधिनियम के अधीन अन्वेषण या गिरण लंबित होने पर शिक्षण संस्था के प्रधान को, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिये अभियुक्त छात्र को निलंबित करने और शैक्षणिक संस्था परिसर तथा छात्रावास में प्रवेश से वर्जित करने का अधिकार होगा ।

किसी शैक्षणिक संस्था का कोई छात्र जो इस अधिनियम के अधीन सिद्धदोष पाया गया हो, शैक्षणिक संस्था से निष्कासन के लिये जिम्मेदार होगा ।

ऐसा छात्र जो निष्कासित किया गया हो या अन्य कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन सिद्धदोष पाया गया हो, को किसी अन्य शैक्षणिक संस्था में राज्य के क्षेत्राधिकार के भीतर तीन वर्ष की अवधि तक प्रवेश नहीं दिया जायेगा ।

2.16 संस्थाओं के संबंध में अत्यावश्यक/आवश्यक जानकारियॉ—

अभ्यर्थी काउंसिलिंग आरंभ होने से पूर्व ही कालेजों से संबंधित आवश्यक जानकारियां जैसे कि संस्था की जिला मुख्यालय से दूरी, परिवहन की सुविधा, शिक्षक एवं अन्य स्टाफ की जानकारी, संस्था का भवन एवं प्रायोगिक सुविधाऐं अनिवार्य फीस, काशनमनी आदि प्राप्त कर लें, संस्था के संबंध में पर्याप्त जानकारी न होने के आधार पर किसी प्रकार का आक्षेप मंजूर नहीं किया जायेगा । छात्रों एवं अभिभावको की सुविधा हेतु इस पुस्तिका में पॉलीटेकनिक संस्थाओं के नाम पते फोन नंबर वेबसाइट आदि की जानकारी दी जा रही है ।

...00...

अध्याय – 3 (अ)

पॉलिटेक्निक संस्थाओं में संस्था एवं ब्रांच आबंटन के लिये परामर्श (*काउंसिलिंग*) के समय तथा प्रवेश के लिये संस्था में प्रस्तुत किये जाने वाले मूल/प्रमाण पत्र दस्तावेजों की सूची :–

परामर्श (*काउंसिलिंग)* हेतु बुलाए गए अभ्यर्थियों को *काउंसिलिंग* फार्म तथा निम्नलिखित मूल प्रमाण पत्र/दस्तावेज एवं उनकी एक–एक अभिप्रमाणित प्रति परामर्श समिति के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। ऐसा न करने पर वे इस नियम पुस्तिका के नियम के अनुसार योग्यताक्रमानुसार पाठ्यक्रम/संस्था/ब्रांच के चयन का अवसर खो देगा ।

सभी प्रवर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा काउंसिलिंग के समय प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाणपत्र/दस्तावेज

1. छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा जारी की गई पी.पी.टी. 2010 की अंक सूची ।
2. अर्हकारी परीक्षा (10 वीं) की बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त अंक सूची ।
3. पासपोर्ट साइज फोटो की एक प्रति ।
4. निर्धारित प्रारूप में 11 में काउंसिलिंग फार्म
5. रू.2000/– अग्रिम फीस जमा करने की चालान की DTE एवं COLLEGE की प्रति (नियम 2.8.2 देखें)
6. इस पुस्तिका के नियम 2.6.2 में उल्लेखित स्थानीय निवासी संबंधी प्रमाण पत्र कलेक्टर अथवा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में लाना अनिवार्य है ।

क्र	स्थानीय निवासी संबंधी आवश्यकता	प्रारूप जिसमें प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना है
1	अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी है ।	प्रारूप – 5
2	छत्तीसगढ़ शासन अथवा उसके सार्वजनिक उपक्रमों/अर्धशासकीय निकायों व छत्तीसगढ़ के स्थानीय शासनों के कार्मिकों अथवा सेवानिवृत्त कार्मिकों जिनके गृह जिला छत्तीसगढ़ में है संबंधी प्रमाण–पत्र ।	प्रारूप – 6
3	यदि उम्मीदवार आवेदन पत्र की अंतिम तिथि को अथवा उसके पूर्व की तिथि से प्रवेश की तिथि तक छत्तीसगढ़ में पदस्थ केन्द्रीय शासन के कर्मचारी अथवा सार्वजनिक उपक्रम के कर्मचारी का/की पुत्र/पुत्री है ।	प्रारूप – 7
4	यदि अभ्यर्थी किसी ऐसे व्यक्ति का/की संतान है जो केन्द्रीय शासन अथवा राज्य शासन की किसी योजना के तहत छत्तीसगढ़ में स्थाई रूप से बस गया है ।	प्रारूप – 8

नोट – प्रारूप नियम पुस्तिका के अंत में दिये गये हैं, वहां देखें ।

7. आरक्षित प्रवर्ग (SC/ST/OBC) के अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले अतिरिक्त प्रमाण पत्र निम्नानुसार होंगे ।

(अ) छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए **स्थायी जाति प्रमाणपत्र–** प्रारूप–1 में (अस्थायी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं किया जायेगा) ।

(ब) छत्तीसगढ़ की अन्य पिछड़ा वर्ग (*क्रीमीलेयर* को छोड़कर) का होने संबंधी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया **स्थायी जाति प्रमाणपत्र –** प्रारूप – 2 में (अस्थायी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं किया जायेगा) ।

(स) छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये उच्च स्तरीय छानबीन समिति, कार्यालय आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय परिसर रायपुर से जारी किया गया जाति सत्यापन प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में ।

8. आरक्षित वर्ग सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं निःशक्तता से बाधित वर्ग द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले अतिरिक्त प्रमाण पत्र निम्नानुसार होगें :–

(अ) सैनिक वर्ग

1. यदि अभ्यर्थी भूतपूर्व सैनिक/मृत प्रतिरक्षा कर्मचारी अथवा स्थायीरूप से निःशक्तता से बाधित प्रतिरक्षा कर्मचारी की संतान है तो प्रारूप 3 (अ) में प्रमाण पत्र ।
2 यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ में स्थायीरूप से व्यवस्थापित भूतपूर्व सैनिक की संतान है तो प्रारूप 3 (ब) में प्रमाण पत्र ।
3. यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ के बाहर पदस्थ छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी प्रतिरक्षा कर्मचारी का संतान है तो प्रारूप 3 (स) तथा प्रारूप 6 में प्रमाण पत्र ।

(ब) **स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग**

छत्तीसगढ़ के संबंधित जिले के कलेक्टर अथवा उसके द्वारा जारी किया गया प्रारूप 4 में प्रमाण पत्र ।

(स) **निःशक्तता से बाधित अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाली अतिरिक्त प्रमाण पत्र निम्नानुसार होगा :–**

1. जिला चिकित्सा मंडल का प्रमाण पत्र ।
2. अधीक्षक, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, निःशक्तजनों हेतु व्यावसायिक पुर्नवास केन्द्र, नेपियर टाउन, जबलपुर द्वारा जारी पात्रता प्रमाण पत्र ।

निम्न दस्तावेजों को काउंसिलिंग के समय लाने की आवश्यकता नहीं हैं, परंतु संस्था में प्रवेश के समय इनकी आवश्यकता होगी –

1. कक्षा आठवीं से अब तक अभ्यर्थी के अध्ययन में यदि कोई व्यवधान हो तो तत्संबंधी कारण बताते हुए न्यायालय का शपथ पत्र जिसमें स्पष्ट उल्लेख हो कि उसने किसी संस्था में प्रवेश नहीं लिया तथा किसी गैर कानूनी गतिविधियों में भाग नहीं लिया (गेप सर्टिफिकेट)।
2. अभी तक जिस संस्था में पढ़ रहे थे उसके प्राचार्य द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र जिसमें यह उल्लेख भी हो कि अभ्यर्थी उक्त संस्था में कब से कब तक अध्ययनरत रहा है ।

टीप :–

1. संस्था में प्रवेश लेते समय मूल प्रमाण पत्र जमा नहीं करना है । मूल प्रमाण पत्र को केवल जांच हेतु दिखाया जा सकता है ।
2. संस्था में लागू फीस में से अग्रिम फीस के रूप में जमा किये गये रू. 2,000/– की चालान की राशि को घटाकर शेष राशि जमा की जानी है ।

ABBREVIATIONS

F	-	Female quota seats
S	-	Sainik.
FF	-	Freedom Fighter.
P.W.D.	-	Person With Disability
SC.	-	Scheduled Caste
ST.	-	Scheduled Tribe
OBC.	-	Other Backward Class
UR	-	UnReserved
X	-	Nil Class
AI	-	All India Quota
CG	-	Chhattisgarh Quota
TO	-	Total

Branches of Engineering

1	CE	-	Civil Engineering
2	CH	-	Chemical Engineering
3	CS	-	Computer Science & Engineering
4	EE	-	Electrical Engineering
5	ET	-	Electronics & Telecommunication Engineering
6	IT	-	Information Technology
7	ME	-	Mechanical Engineering
8	MN	-	Mining Engineering
9	IE	-	Instrumentation
10	MT	-	Metallurgy
11	PT	-	Printing Technology

TABLE- 1

SEATS AVAILABLE FOR DIPLOMA COURSE SESSION 2010-2011

S.N.	Name of Institutes	Civil	Mechanical	Electrical	Electronics & Telecommunication	Metallurgy	Information Technology	Computer Science	Mining	Instrumentation	Chemical	Printing Technology	Total
GOVT. GIRLS POLYTECHNIC													
1	Raipur				45		30	45					**120**
2	Rajnandgaon				40								**40**
3	Jagdalpur				45		30						**75**
4	Bilaspur				45		45	45					**135**
GOVT. CO-ED POLYTECHNICS													
1	Ambikapur	40	40	40	40			40	40				**240**
2	Dhamtari	40	60	60	60			60					**280**
3	Durg	40	60	60	60	60	30	40					**350**
4	Janjgir-Champa	30		30	30						30		**120**
5	Kabirdham			30	30			30					**90**
6	Khairagarh		40		40	30		40				40	**190**
7	Korba		60	60	30					30			**180**
8	Mahasamund	30	30	30				30					**120**
9	Raigarh	40	80	80	40	40		40					**320**
10	Takhatpur		40		40								**80**
PRIVATE POLYTECHNIC													
1	IBT College of Diploma Engineering, Ahiwara, Durg	60	60	60	60			60					**300**
		280	470	450	605	130	135	430	40	30	30	40	2930

TABLE- 2

DISTRIBUTION OF SEATS IN GOVERNMENT POLYTECHNICS AS PER RESERVATION POLICY

GOVERNMENT POLYTECHNIC, AMBIKAPUR

	UR						SC						ST						OBC						TO		
	S	FF	H	F	X	TO	S	FF	H	F	X	TO	S	FF	H	F	X	TO	S	FF	H	F	X	TO	S	FF	H
CE	1	0	1	6	12	20	0	0	0	2	5	7	1	0	0	2	5	8	0	0	0	1	4	5	2	0	1
CS	1	0	2	6	11	20	0	0	0	2	4	6	0	0	0	3	5	8	0	0	0	2	4	6	1	0	2
EE	1	1	0	6	12	20	0	0	1	2	3	6	0	0	0	2	6	8	1	0	0	2	3	6	2	1	1
ET	1	1	1	6	11	20	0	0	0	2	4	6	1	0	0	2	5	8	0	1	0	2	3	6	2	2	1
ME	1	1	0	6	12	20	1	0	0	1	4	6	0	1	1	3	4	9	0	0	1	1	3	5	2	2	2
MN	1	1	0	0	18	20	1	1	0	0	3	5	0	0	0	0	9	9	1	0	0	0	5	6	3	2	0
TO	6	4	4	30	76	120	2	1	1	9	23	36	2	1	1	12	34	50	2	1	1	8	22	34	12	7	7

GOVERNMENT POLYTECHNIC, DHAMTARI

	UR						SC						ST						OBC						TOT		
	S	FF	H	F	X	TO	S	FF	H	F	X	TO	S	FF	H	F	X	TO	S	FF	H	F	X	TO	S	FF	H
	1	0	0	6	13	20	0	1	0	2	3	6	1	0	0	2	5	8	0	0	0	2	4	6	2	1	0
	1	1	1	9	18	30	0	0	1	2	6	9	1	0	0	4	8	13	0	1	0	2	5	8	2	2	2
	2	1	1	9	17	30	1	0	0	3	5	9	1	1	0	4	7	13	0	0	0	3	5	8	4	2	1
	2	1	1	9	17	30	0	0	0	3	6	9	0	1	1	4	7	13	1	0	1	2	4	8	3	2	3
	1	1	1	9	18	30	1	0	0	3	5	9	0	0	1	4	7	12	1	0	0	3	5	9	3	1	2
	7	4	4	42	83	140	2	1	1	#	25	42	3	2	2	18	34	59	2	1	1	#	23	39	14	8	8

GOVERNMENT POLYTECHNIC, DURG

	UR						SC						ST						OBC						TOT		
	S	FF	H	F	X	TO	S	FF	H	F	X	TO	S	FF	H	F	X	TO	S	FF	H	F	X	TO	S	FF	H
	1	1	0	6	12	20	1	0	0	2	3	6	0	0	0	3	5	8	0	0	0	2	4	6	2	1	0
	1	0	1	6	12	20	0	0	1	2	3	6	1	0	1	2	4	8	0	1	0	2	3	6	2	1	3
	2	1	1	9	17	30	0	0	0	3	6	9	1	1	0	4	7	13	0	0	0	3	5	8	3	2	1
	1	1	1	9	18	30	0	0	1	3	5	9	1	0	0	4	8	13	1	0	1	2	4	8	3	1	3
	1	0	1	5	8	15	0	1	0	1	3	5	0	0	1	1	3	5	0	0	0	2	3	5	1	1	2
	1	1	1	9	18	30	1	1	0	2	5	9	1	0	0	4	8	13	0	0	0	2	6	8	3	2	1
	2	1	0	9	18	30	1	0	0	3	5	9	0	1	0	4	8	13	1	0	0	2	5	8	4	2	0
	9	5	5	53	103	175	3	2	2	16	30	53	4	2	2	22	43	73	2	1	1	15	30	49	18	10	10

GOVERNMENT POLYTECHNIC, JANJGIR CHAMPA

	UR						SC						ST						OBC						TOT		
	S	FF	H	F	X	TO	S	FF	H	F	X	TO	S	FF	H	F	X	TO	S	FF	H	F	X	TO	S	FF	H
	1	0	0	4	10	15	1	0	0	1	2	4	0	0	0	2	4	6	0	1	0	1	3	5	2	1	0
	0	0	0	4	11	15	0	1	0	1	2	4	0	1	0	2	3	6	1	0	0	2	2	5	1	2	0
	1	1	1	5	7	15	0	0	0	1	4	5	1	0	0	2	3	6	0	0	1	1	2	4	2	1	2
	1	1	1	5	7	15	0	0	1	2	2	5	0	0	1	2	4	7	0	0	0	1	2	3	1	1	3

	3	2	2	18	35	60	1	1	1	5	10	18	1	1	1	8	14	25	1	1	1	5	9	17	6	5	5
GOVERNMENT POLYTECHNIC, KABIRDHAM																											
	UR						SC						ST						OBC						TOT		
	S	FF	H	F	X	TO	S	FF	H	F	X	TO	S	FF	H	F	X	TO	S	FF	H	F	X	TO	S	FF	H
	0	1	1	5	8	15	0	0	0	2	3	5	0	0	1	2	3	6	0	0	0	1	3	4	0	1	2
	1	0	0	4	10	15	0	0	0	1	3	4	1	0	0	2	3	6	1	0	0	2	2	5	3	0	0
	1	0	0	5	9	15	1	0	0	1	3	5	0	1	0	2	3	6	0	0	0	1	3	4	2	1	0
	2	1	1	14	27	45	1	0	0	4	9	14	1	1	1	6	9	18	1	0	0	4	8	13	5	2	2

GOVERNMENT POLYTECHNIC, KHAIRAGARH																													
	UR						SC						ST						OBC						TOTAL					
	S	FF	H	F	X	TO	S	FF	H	F	X	TO	S	FF	H	F	X	TO	S	FF	H	F	X	TO	S	FF	H	F	X	GT
CS	1	1	1	6	11	20	0	1	1	2	2	6	0	0	1	3	5	9	0	0	1	2	2	5	1	2	4	13	20	40
ET	1	0	1	6	12	20	0	0	0	2	4	6	1	0	0	3	5	9	0	1	0	1	3	5	2	1	1	12	24	40
ME	1	1	1	6	11	20	0	0	0	2	4	6	1	0	0	2	5	8	1	0	0	2	3	6	3	1	1	12	23	40
MT	1	0	0	4	10	15	0	0	0	1	3	4	0	1	0	2	3	6	0	0	0	1	4	5	1	1	0	8	20	30
PT	1	1	0	6	12	20	1	0	0	1	4	6	0	0	0	2	6	8	0	0	0	2	4	6	2	1	0	11	26	40
TO	5	3	3	28	56	95	1	1	1	8	17	28	2	1	1	12	24	40	1	1	1	8	16	27	9	6	6	56	113	190
GOVERNMENT POLYTECHNIC, KORBA																													
	UR						SC						ST						OBC						TOTAL					
	S	FF	H	F	X	TO	S	FF	H	F	X	TO	S	FF	H	F	X	TO	S	FF	H	F	X	TO	S	FF	H	F	X	GT
EE	2	1	1	9	17	30	0	1	1	3	4	9	1	0	0	4	8	13	0	1	0	2	5	8	3	3	2	18	34	60
ET	1	0	1	5	8	15	0	0	0	1	4	5	0	0	0	2	4	6	0	0	1	1	2	4	1	0	2	9	18	30
IE	1	1	0	4	9	15	0	0	0	1	3	4	1	0	0	1	4	6	0	0	0	2	3	5	2	1	0	8	19	30
ME	1	1	1	9	18	30	1	0	0	3	5	9	0	1	1	4	7	13	1	0	0	2	5	8	3	2	2	18	35	60
TO	5	3	3	27	52	90	1	1	1	8	16	27	2	1	1	11	23	38	1	1	1	7	15	25	9	6	6	53	106	180
GOVERNMENT POLYTECHNIC,MAHASAMUND																													
	UR						SC						ST						OBC						TOTAL					
	S	FF	H	F	X	TO	S	FF	H	F	X	TO	S	FF	H	F	X	TO	S	FF	H	F	X	TO	S	FF	H	F	X	GT
CE	1	0	0	4	10	15	0	0	1	1	3	5	1	1	0	2	2	6	0	1	0	1	2	4	2	2	1	8	17	30
CS	1	0	1	5	8	15	0	1	0	1	2	4	0	0	0	2	5	7	0	0	1	1	2	4	1	1	2	9	17	30
EE	0	1	1	5	8	15	1	0	0	1	2	4	0	0	0	2	4	6	0	0	0	2	3	5	1	1	1	10	17	30
ME	1	1	0	4	9	15	0	0	0	2	3	5	0	0	1	2	3	6	1	0	0	1	2	4	2	1	1	9	17	30
TO	3	2	2	18	35	60	1	1	1	5	10	18	1	1	1	8	14	25	1	1	1	5	9	17	6	5	5	36	68	120
GOVERNMENT POLYTECHNIC, RAIGARH																													
	UR						SC						ST						OBC						TOTAL					
	S	FF	H	F	X	TO	S	FF	H	F	X	TO	S	FF	H	F	X	TO	S	FF	H	F	X	TO	S	FF	H	F	X	GT
CE	1	0	1	6	12	20	0	0	0	2	4	6	0	0	0	2	6	8	0	0	0	2	4	6	1	0	1	12	26	40
CS	1	1	1	6	11	20	1	0	0	2	3	6	0	1	1	3	4	9	0	0	1	1	3	5	2	2	3	12	21	40
EE	2	1	1	12	24	40	0	0	1	4	7	12	1	0	1	5	10	17	1	0	0	3	7	11	4	1	3	24	48	80
ET	1	1	1	6	11	20	0	0	0	2	4	6	1	0	0	2	5	8	0	1	0	2	3	6	2	2	1	12	23	40
ME	2	1	1	12	24	40	1	1	0	3	7	12	1	1	0	5	10	17	1	0	0	3	7	11	5	3	1	23	48	80
MT	1	1	0	5	13	20	0	0	0	2	4	6	0	0	0	3	5	8	0	0	0	2	4	6	1	1	0	12	26	40
TO	8	5	5	47	95	160	2	1	1	15	29	48	3	2	2	20	40	67	2	1	1	13	28	45	15	9	9	95	192	320
GOVERNMENT POLYTECHNIC, TAKHATPUR																													

	UR						SC						ST						OBC						TOTAL					
	S	FF	H	F	X	TO	S	FF	H	F	X	TO	S	FF	H	F	X	TO	S	FF	H	F	X	TO	S	FF	H	F	X	GT
ET	1	0	1	6	12	20	1	0	0	2	3	6	0	1	1	3	4	9	1	0	0	1	3	5	3	1	2	12	22	40
ME	1	1	0	6	12	20	0	0	0	2	4	6	1	0	0	2	5	8	0	0	0	2	4	6	2	1	0	12	25	40
TO	2	1	1	12	24	40	1	0	0	4	7	12	1	1	1	5	9	17	1	0	0	3	7	11	5	2	2	24	47	80

GOVERNMENT GIRLS POLYTECHNIC, JAGDALPUR

	UR					SC					ST					OBC					TOTAL				
	S	FF	H	F	TO	S	FF	H	F	TO	S	FF	H	F	TO	S	FF	H	F	TO	S	FF	H	F	GT
ET	1	1	1	19	22	1	0	0	6	7	0	0	0	10	10	0	0	0	6	6	2	1	1	41	45
IT	1	0	0	14	15	0	0	0	5	5	1	0	0	5	6	0	0	0	4	4	2	0	0	28	30
TO	2	1	1	33	37	1	0	0	11	12	1	0	0	15	16	0	0	0	10	10	4	1	1	69	75

GOVERNMENT GIRLS POLYTECHNIC, BILASPUR

	UR					SC					ST					OBC					TOTAL				
	S	FF	H	F	TO	S	FF	H	F	TO	S	FF	H	F	TO	S	FF	H	F	TO	S	FF	H	F	GT
CS	1	1	1	20	23	1	0	0	6	7	1	0	0	8	9	0	1	0	5	6	3	2	1	39	45
ET	1	1	0	21	23	0	1	0	5	6	0	1	0	9	10	0	0	1	5	6	1	3	1	40	45
IT	1	0	1	20	22	0	0	1	6	7	0	0	1	8	9	1	0	0	6	7	2	0	3	40	45
TO	3	2	2	61	68	1	1	1	17	20	1	1	1	25	28	1	1	1	16	19	6	5	5	119	135

GOVERNMENT GIRLS POLYTECHNIC, RAIPUR

	UR					SC					ST					OBC					TOTAL				
	S	FF	H	F	TO	S	FF	H	F	TO	S	FF	H	F	TO	S	FF	H	F	TO	S	FF	H	F	GT
CS	1	1	1	20	23	0	1	0	6	7	0	0	1	8	9	1	0	0	5	6	2	2	2	39	45
ET	1	1	0	20	22	0	0	1	6	7	1	0	0	8	9	0	0	1	6	7	2	1	2	40	45
IT	1	0	1	13	15	1	0	0	3	4	0	0	0	7	7	0	1	0	3	4	2	1	1	26	30
TO	3	2	2	53	60	1	1	1	15	18	1	0	1	23	25	1	1	1	14	17	6	4	5	105	120

GOVERNMENT GIRLS POLYTECHNIC, RAJNANDGAON

	UR					SC					ST					OBC					TOTAL				
	S	FF	H	F	TO	S	FF	H	F	TO	S	FF	H	F	TO	S	FF	H	F	TO	S	FF	H	F	GT
ET	1	1	1	17	20	0	0	0	6	6	0	0	0	8	8	0	0	0	6	6	1	1	1	37	40
TO	1	1	1	17	20	0	0	0	6	6	0	0	0	8	8	0	0	0	6	6	1	1	1	37	40

TABLE- 3
DISTRIBUTION OF SEATS IN PRIVATE POLYTECHNIC

IBT College of Diploma Engineering, Ahiwara, Durg	C.G. Quota	O.S. Quota	Management Quota	Total
Civil	45	6	9	60
Electrical	45	6	9	60
Mechanical	45	6	9	60
Electronics & Telecommunication	45	6	9	60
Computer Science	45	6	9	60

उपरोक्त महाविद्यालयों की सीटों में किसी प्रकार की मुद्रण त्रुटि को सुधारा जा सकता है । अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से अनुमति मिलने पर कुल सीटों की संख्या में परिवर्तन संभावित है ।

टीप :–

(1) वर्ष 2010–11 में नये पॉलिटेक्निक संस्था सम्भावित है ।

(2) सीटों की संख्या में तथा सीटों के प्रकार में परिवर्तन हो सकता है ।

(3) संस्थाओं मे प्रवेश अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् की अनुमति के उपरान्त ही दिया जा सकेगा ।

...00...

अध्याय–3(ब)
प्रमाणपत्रों के प्रारूप
प्रारूप – 1

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

(नियम 2.5.1)

अनुभाग .... जिला .... छत्तीसगढ़

पुस्तक क्रमांक ....

प्रमाण पत्र क्रमांक .... प्रकरण क्रमांक ....

स्थायी जाति प्रमाण पत्र

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री ....पिता/पति का नाम .... निवासी ग्राम/नगर ....पटवारी हल्का नं. .... वि.खं. .... तहसील ....जिला .... संभाग .... जाति/जनजाति का/की सदस्य है और इस जाति /जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति/जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और यह .... जाति/जनजाति एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति संशोधन अधिनियम 1976 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की सूची में अनुक्रमांक... पर अंकित है अतः श्री/सुश्री .... पिता/पति का नाम ....अनुसूचित जाति/जनजाति का/की है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/सुश्री .... के परिवार की कुल वार्षिक आय रुपये .... है ।

दिनांक– ....

हस्ताक्षर
प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम
पदनाम एवं सील

<u>टिप्पणी</u>

1. अनुसूचित जाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 341 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का अर्थ है संविधान अनुच्छेद 342 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित जनजाति
2. केवल निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र मान्य होंगे। (अ) कलेक्टर/अतिरिक्त कलेक्टर/डिप्टी कलेक्टर/एस.डी.ओ. अनुविभागीय अधिकारी उप संभागीय मजिस्ट्रेट / सिटी मजिस्ट्रेट (ब) तहसीलदार (स) नायब तहसीलदार (द) परियोजना प्रशासक/अधिकारी, वृहद्/मध्यम/एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना ।

   यह प्रमाण पत्र उपरोक्त में से किसी भी एक अधिकारी द्वारा नियत जांच एवं आत्म संतुष्टि के पश्चात ही जारी किया जाये, न कि अभ्यर्थी के अभिभावक द्वारा दिये गये शपथ पत्र के आधार पर और न ही स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र के आधार पर।

प्रारूप 2

छत्तीसगढ़ की अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमी *लेयर* को छोड़ कर) प्रवर्ग
के अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाले प्रमाण पत्र
(नियम 2.5.1 देखें)

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी प्रमाणीकरण

अनुभाग .... जिला .... छत्तीसगढ़
पुस्तक क्रमांक .... प्रमाण पत्र क्रमांक ....

स्थायी जाति प्रमाण पत्र

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री ....आत्मज श्री .... निवासी ग्राम ....जिला संभाग .... छत्तीसगढ़ के निवासी है, जो ....जाति के हैं, जिसे पिछडा वर्ग के रूप में छत्तीसगढ़ आदिमजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछडा– वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 8–5/25/4/84, दिनांक 26 दिसंबर, 1984 द्वारा अधिमान्य किया गया है।

श्री .... और/या उनका परिवार सामान्यतः छत्तीसगढ़ के जिला .... संभाग .... में निवास करता है व छत्तीसगढ़ राज्य में दिनांक .... को प्रवजन कर चुका है।
यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री.. *क्रीमी लेयर*(संपन्न वर्ग) व्यक्तियों/वर्णो की प्रवर्ग में नहीं आते है, जिनका उल्लेख भारत सरकार, कर्मियों एवं प्रशिक्षण के परिपत्र क्रमांक 360/2122/93/स्था.(एस.सी.टी.)दिनांक 8–9–93 द्वारा जारी सूची में कालम –3 में तथा छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 7–26/93/1 आ.प्र. दिनांक 8 मार्च 1994 के साथ संलग्न परिशिष्ट ई की अनुसूची के कालम (3)में किया गया है।

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/सुश्री ....के परिवार की कुल वार्षिक आय रुपये .... है।
दिनांक ....

हस्ताक्षर
प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम
पदनाम एवं सील

प्रारूप 3 (अ)

सैनिक वर्ग हेतु प्रमाण–पत्र

(नियम 2.5.2.1देखें)

भूतपूर्व,मृत प्रतिरक्षा कर्मचारी अथवा स्थायी रूप से निःशक्तता से बाधित
प्रतिरक्षा कार्मिक की संतान हेतु

संदर्भ क्रमांक................................ दिनांक ....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती (माता/पिता का नाम) ....जो कि छत्तीसगढ़, व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर द्वारा संचालित पी.पी.टी. वर्ष 2010 के आधार पर डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी श्री/कुमारी(छात्र/छात्रा का नाम)... के पिता/माता है,

(अ) थलसेना/वायुसेना/नौसेना के/की एक भूतपूर्व सैनिक है। सेवानिवृत्ति/सेवामुक्ति के समय वे .... पद पर थे/थी और उनका सर्विस क्रमांक............................. था।

(ब) उन्होंने थलसेना/वायुसेना/नौ सेना में .... पद पर सर्विस क्रमांक .... के अधीन सेवा की है। सेवा के दौरान वे स्थायी रूप से निःशक्तजन हो गए है/सेवा के दौरान उनकी मृत्यु वर्ष .... में हो चुकी है।

स्थान .... जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर
दिनांक .... कार्यालय सील

प्रारूप 3 (ब)

सैनिक वर्ग हेतु प्रमाण–पत्र

(नियम 2.5.2.1)

भूतपूर्व प्रतिरक्षा कर्मचारी द्वारा स्थायी रूप से छत्तीसगढ़ में व्यवस्थापित होने संबंधी प्रमाण पत्र

संदर्भ क्रमांक........................... दिनांक ....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री ....(अभ्यर्थी के माता/पिता नाम)जो कि डिप्लोमा प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी श्री/सुश्री .... (अभ्यर्थी का नाम) के माता/पिता हैं, भूतपूर्व प्रतिरक्षा कार्मिक है और स्थायी रूप से ....(स्थान) तहसील............................ ....जिला...छत्तीसगढ़ राज्य में व्यवस्थापित है ।

स्थान ....
दिनांक .... जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर
(हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा)
कार्यालय सील जिला
सैनिक कल्याण अधिकारी

प्रारूप 3 (स)

सैनिक वर्ग हेतु प्रमाण–पत्र
(नियम 2.5.2.1)

कार्यरत प्रतिरक्षा कर्मचारी की संतान हेतु

संदर्भ क्रमांक........................... दिनांक ....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री / सुश्री..(अभ्यथी के पिता / माता का नाम) डिप्लोमा प्रथम वर्ष पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी श्री / सुश्री...(अभ्यर्थी का नाम)के पिता / माता(जो लागू न हो उसे काट दें) हैं वह थल सेना / वायु सेना / नौसेना में .... ओहदे पर सर्विस क्रमॉक............................के अधीन कार्यरत प्रतिरक्षा कार्मिक हैं ओर वह प्रतिरक्षा..इकाई में पदस्थ हैं । वे इस इकाई में दिनॉक ....से सेवारत हैं ।

स्थान ....

दिनांक .... (हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा)

कार्यालय सील

कमाडिंग ऑफिसर

प्रारूप 4

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग हेतु प्रमाण पत्र

(नियम 2.5.2.2)

संदर्भ क्रमांक................................ दिनांक..................

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री ....(अभ्यर्थी का नाम) श्री/सुश्री..................................(अभ्यर्थी के पिता/माता का नाम) के/की वैध संतान है। जो श्री/सुश्री..(स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम) के/की वैध संतान है । श्री / सुश्री..(स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम) का नाम छत्तीसगढ़ के जिला...के कलेक्टर कार्यालय में संधारित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पंजी में क्रमॉक..........
....पर पंजीकृत है ।

स्थान .... (हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा)

दिनांक ....

कलेक्टर अथवा कलेक्टर द्वारा
प्राधिकृत डिप्टी कलेक्टर से
अन्यून स्तर का राजस्व अधिकारी
पदनाम एवं सील

प्रारूप–5

स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र

(नियम 2.6.2)

क्रमांक .... दिनांक.............................

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / सुश्री ....

आत्मज / आत्मजा / पत्नी ....निवासी..

तहसील .... व जिला.................... छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी है, क्योंकि वह –

1/ **निम्नलिखित चार में से किसी एक कण्डिका में उल्लेखित शर्त की पूर्ति करता है :–**

1. वह छत्तीसगढ़ में पैदा हुआ है / हुई है ।

2. (क) वह,

अथवा

(ख) उसके पालकों में से कोई –

अथवा

(ग) उसके पालकों में से यदि कोई जीवित न हो, तो उसका वैद्य अभिभावक (गार्जियन) छत्तीसगढ़ में निरंतर कम से कम 15 वर्ष से रह रहा है ।

3. उसके पालकों में से कोई भी:–

(क) राज्य शासन का सेवारत या सेवानिवृत्ति कर्मचारी है

अथवा

(ख) केन्द्रीय शासन का कर्मचारी है, जो छत्तीसगढ़ राज्य में सेवारत है,

4. (क) वह स्वयं

अथवा

(ख) उसके पालक राज्य में पिछले पांच वर्षो से कोई अचल संपत्ति, उद्योग अथवा व्यवसाय रखते हैं

परंतु उपरोक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किसी एक कंडिका में उल्लेखित शर्त की पूर्ति भी करता है ।

5. उसने अपनी शिक्षा छत्तीसगढ़ राज्य अथवा अविभाजित मध्यप्रदेश के छत्तीसगढ़ राज्य में शामिल जिलों में स्थित किसी भी शिक्षण संस्था में कम से कम तीन वर्ष तक प्राप्त की है,

6. उसने छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित किसी भी शिक्षण संस्था से निम्नलिखित परीक्षाएं उत्तीर्ण की हों अर्थात:–

(क) यदि किसी संस्था में प्रवेश के लिये या शासन के अधीन सेवा के लिये न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की डिप्लोमा या उससे उच्चतर उपाधि निर्धारित हो, तो उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या 8 वीं कक्षा की परीक्षा.

(ख) यदि किसी संस्था में प्रवेश के लिये या शासन के अधीन सेवा के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, किसी भी विश्वविद्यालय या बोर्ड की इंटर मीडिएट, हायर सेकेण्डरी या कोई और समकक्ष परीक्षा निर्धारित की गई हो, तो आठवीं कक्षा की परीक्षा.

(ग) अन्य मामलों में पांचवीं कक्षा की परीक्षा,

2/ **उपरोक्त के अलावा निम्नलिखित में से किसी श्रेणी के व्यक्ति भी छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी होंगेः–**

(क) छत्तीसगढ़ राज्य को आबंटित अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की पत्नी/पति अथवा संतान ।

(ख) छत्तीसगढ़ राज्य शासन के अधिकारियों/कर्मचारियों की पत्नी/पति अथवा संतान ।

(ग) छत्तीसगढ़ में संवैधानिक या अन्य विधिक ्;जंजनजवतलद्ध पदों पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की पत्नी/पति अथवा संतान ।

(घ) राज्य के अधीन स्थापित संस्थाओं या निगम या मंडल या आयोग में पदस्थ पदाधिकारी/ अधिकारी/कर्मचारी, उनकी पत्नी/पति अथवा संतान ।

3/ उपरोक्त मापदण्डों के अनुरूप जो व्यक्ति स्थानीय निवासी माना जायेगा, उसकी पत्नी/पति अथवा संतान भी छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी होंगे ।

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

....

पदनाम एवं सील

प्रारूप – 6

छत्तीसगढ़ शासन अथवा उसके सार्वजनिक उपक्रमों/अर्धशासकीय निकायों व छत्तीसगढ़ के स्थानीय शासनों के कार्मिकों संबंधी प्रमाण–पत्र
(नियम 2.6.2)

संदर्भ क्रमांक .... दिनांक................

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री..(अभ्यर्थी का नाम) जो डिप्लोमा प्रथम वर्ष में प्रवेश का / की अभ्यर्थी है श्री/सुश्री..(अभ्यर्थी के पिता/माता का नाम)का की/संतान है,

क– जो छत्तीसगढ़ शासन के ....विभाग में....................................पद पर........................... तिथि से पदस्थ छत्तीसगढ़ शासन के कार्मिक हैं ।

अथवा

ख– जो छत्तीसगढ़ शासन के ....विभाग में ....पद पर पदस्थ छत्तीसगढ़ शासन के कार्मिक थे ओर..तिथि से इस विभाग से सेवानिवृत्त हुए ।

स्थान............................ कार्यालय प्रमुख अथवा विभागाध्यक्ष के

दिनांक.......................... (नाम, हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा)

प्रारूप–7

भारत सरकार अथवा उसके सार्वजनिक उपक्रमों / अर्धशासकीय निकायों के छत्तीसगढ़ में पदस्थ
कार्मिकों के स्थानीय निवासी संबंधी प्रमाण पत्र
(नियम 2.6.2)

संदर्भ क्रमॉक.................................. दिनॉक............................प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री...... ....(अभ्यर्थी का नाम) जो प्रथम वर्ष डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी है, श्री/सुश्री.............. ....(अभ्यर्थी के पिता/माता का नाम)का / की/संतान है, जो................................तिथि से छत्तीसगढ़ में स्थित इस कार्यालय..स्थान..जिला.................................. ......में...पद पर पदस्थ हैं जो

भारत सरकार के...विभाग

अथवा

भारत सरकार के ....सार्वजनिक उपक्रम

अथवा

भारत सरकार के ....अर्धशासकीय निकाय

का / की कार्मिक है ।

स्थान..

दिनॉक.. कार्यालय प्रमुख अथवा विभागाध्यक्ष

के नाम, हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा

प्रारूप 8

छत्तीसगढ़ में पुनर्वास स्थापन संबंधी प्रमाण पत्र

(नियम 2.6.2)

संदर्भ क्रमांक .... दिनांक........................

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री...जो छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा संचालित पी.पी.टी.वर्ष 2010 के आधार पर डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी है । श्री/सुश्री ....का/की/संतान है, जो...............................योजना के तहत छत्तीसगढ़ में व्यवस्थापित है । यह योजना भारत शासन/छत्तीसगढ़ द्वारा स्वीकृत पुनर्व्यवस्थापन योजना है ।

स्थान ....

दिनांक ....

हस्ताक्षर

कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट

पदनाम एवं सील

प्रारूप–9

जम्मू एवं कश्मीर राज्य के विस्थापित की संतान हेतु प्रमाण पत्र
(नियम 2.5.3)

संदर्भ क्रमॉक....................................... दिनॉक...............................

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री..(अभ्यर्थी का नाम) जो प्रथम वर्ष डिप्लोमा में प्रवेश के अभ्यर्थी है श्री/सुश्री..(अभ्यर्थी के पिता/माता का नाम) की संतान है जो जम्मू कश्मीर राज्य के विस्थापित हैं ।

स्थान... ....

दिनॉक.. (हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा)

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)

प्रारूप–10

छत्तीसगढ़ के कार्मिक जिनकी पदस्थापना आतंकवादी गतिविधियों के नियंत्रण हेतु जम्मू एवं कश्मीर राज्य में की गई हो की संतान हेतु प्रमाण पत्र
(नियम 2.5.3)

संदर्भ क्रमॉक.................................. दिनॉक............................प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री...(अभ्यर्थी का नाम) जो प्रथम वर्ष डिप्लोमा में जम्मू एवं कश्मीर राज्य के विस्थापित अभ्यर्थियों की स्थानों के विरूद्व प्रवेश का अभ्यर्थी है, के पिता/माता श्री/सुश्री ....छत्तीसगढ़ के कार्मिक हैं जम्मू एवं कश्मीर राज्य में आतंकवादी गतिविधियों के नियंत्रण हेतु पदस्थ हैं जिनकी पदस्थापना दिनॉक................. से दिनॉक.............................तक ....(स्थान का नाम) जिला...में रही है ।

स्थान... (हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा)

दिनॉक...

शासन में विभागाध्यक्ष

अधिकारी का नाम, हस्ताक्षर,
पद एवं विभाग का नाम

प्रारूप–11

पी.पी.टी. 2010 के आधार पर डिप्लोमा प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु *काउसिलिंग* फार्म

अभ्यर्थी का पासपोर्ट साइज फोटो

1. पी.पी.टी. 2010 रोल नंबर ....
2. पी.पी.टी.का ओवर ऑल मेरिट रैंक...कुल प्राप्तांक ....
3. प्रवर्ग अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग
4. वर्ग– सैनिक/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी/ निःशक्तजन (जो लागू न हो उसे काट दें)
5. पुरुष/स्त्री (जो लागू न हो उसे काट दें)
6. पूरा नाम .... जन्म तिथि ....
7. पिता का नाम ....
8. पूर्ण पता ....

   ....

   दूरभाष कोड नं.(.....................)फोन नं...मोबाईल नं..
9. उत्तीर्ण की गई अर्हकारी परीक्षा 10+2 प्रणाली की दसवीं कक्षा की परीक्षा/अन्य समकक्ष परीक्षा का विवरण :–
   (अ) परीक्षा का नाम .... उत्तीर्ण करने का वर्ष ....
   (ब) संस्था का नाम ....
10. क्या आप पी.पी.टी. 2010 के नियम 2.6.2 के तहत छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी हैं? ....
11. क्या आपने निम्न मूल प्रमाण–पत्र संलग्न किया है? (हां या नहीं में उत्तर अंकित करें)
    1. पी.पी.टी. 2010 की अंकसूची ....
    2. अर्हकारी परीक्षा 10वीं की अंकसूची ....
    3. आरक्षित प्रवर्ग (SC/ST/OBC) हेतु निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र ....
    4. आरक्षित वर्ग (FF/Sainik/Handicape)हेतु निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र ....
    5. पी.पी.टी. नियम 2.6.2 के तहत छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी संबंधी आवश्यकता की पूर्ति हेतु निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र ....
12. निम्नलिखित तालिका में अभ्यर्थी अपने पिछले पांच वर्षो के अध्ययन की जानकारी देवें ।

क	वर्ष	संस्था का नाम	शहर	राज्य	कक्षा	बोर्ड का नाम	परिणाम
1	2005–06						
2	2006–07						
3	2007–08						
4	2008–09						
5	2009–10						

13. फीस की अग्रिम राशि के रूप में अभ्यर्थी द्वारा संलग्न किए गए बैंक चालान का विवरण जो ''संचालक, तकनीकी शिक्षा छत्तीसगढ़ रायपुर'' के भारतीय स्टेट बैंक के खाता कमांक 31077008863 में जमा किया गया है ।
    1. चालान की राशि रू. 2,000/– रु. (दो हजार) ।
    2. चालान जमा करने का दिनांक ....
    3. भारतीय स्टेट बैंक की ब्रांच का नाम जिसमें चालान जमा किया गया है ....

(चालान भारतीय स्टेट बैंक के देश में स्थित किसी भी ब्रांच में जमा किया जा सकता है, अन्य बैंक में जमा नहीं करना है । चालान का फार्म इस पुस्तिका के अंत में दिया हुआ है ।)

:: छात्र की घोषणा ::

मुझे यह स्वीकार है कि मेरे गलत जानकारी प्रस्तुत करने अथवा आवश्यक महत्वपूर्ण तथ्य छिपाने के फलस्वरूप यदि मैं किसी पाठ्यक्रम/संस्था/ब्रांच में प्रवेश पाने में सफल हो जाता/जाती हूं अथवा बाद में किसी भी समय यह पाया जाता है कि मुझे किसी त्रुटिवश प्रवेश दिया गया है तो मेरा प्रवेश तत्काल प्रभाव से बिना किसी सूचना के मेरे अध्ययनकाल के दौरान किसी भी समय निरस्त किया जा सकेगा।

....

पिता/अभिभावक के हस्ताक्षर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

केवल कार्यालयीन उपयोग हेतु

1. अभ्यर्थी निम्नलिखित कारणों से प्रवेश हेतु पात्र है/ पात्र नहीं है ।
——

सत्यापन अधिकारी के हस्ताक्षर एवं नाम व पद

समस्त पॉलीटेकनिक संस्थाओं के नाम, पते एवं फोन नंबर

प्राचार्य का नाम, संस्था का नाम एवं पता	फोन नंबर	फेक्स नंबर	वेब साइट/ई मेल एड्रेस
श्रीमती उषा जैन, प्राचार्य, शासकीय पॉलिटेक्निक, जी.ई.रोड **दुर्ग**	0788–2323548, 2331628	0788–2323548	
श्री लोकेन्द्र सिंह, प्राचार्य, शासकीय पॉलिटेक्निक.रूद्री **धमतरी**	07722–2237618	07722–236173	
श्री एस.डी. साहू, प्राचार्य, शासकीय पॉलिटेक्निक. मनेन्द्रगढ़ नाका, **अंबिकापुर**	07774–220609	07774–220609	
श्री जी. आर. साहू, प्राचार्य, शासकीय पॉलिटेक्निक.चक्रधर नगर,**रायगढ़**	07762–222737	07762–222737	
श्री एस.एस.एल. पटेल प्राचार्य,शासकीय पॉलिटेक्निक. ग्राम रूमगरा, पो. बाल्को नगर **कोरबा**	07759–215696	07759241449	
श्री आई.सी. भारती, प्राचार्य,शासकीय पॉलिटेक्निक. मेन रोड **तखतपुर**	07753–264963	07753–264963	
श्री आर.के. पाटकर, प्राचार्य,शासकीय पॉलिटेक्निक. मेन रोड **खैरागढ़**	07820–234010	07820–234912	gpkgh@yahoo.co.in
श्री डी.एस. पवार, प्राचार्य,शासकीय पॉलिटेक्निक. बी.टी.आई. रोड **महासमुंद**	07723–224818	———	
श्री ए.के. जैन प्राचार्य, शासकीय पॉलिटेक्निक. **कबीरधाम**	07741–232636	———	
डॉ. एम.एफ कुरैशी, प्राचार्य, शासकीय पॉलिटेक्निक.**जांजगीर–चांपा**	07817–200625	07817–222026	
डॉ. एस.सी.बैरागी, प्राचार्य, शासकीय कन्या पॉलिटेक्निक. बायरन बाजार **रायपुर**	0771–2423045	0771–234912	
डॉ. आर.जी. गुप्ता प्राचार्य, शासकीय कन्या पॉलिटेक्निक. तहसील कार्यालय, **राजनांदगांव**	07744–226830	———	
श्री एस.के. त्रिवेदी, प्राचार्य, शासकीय कन्या पॉलिटेक्निक. धरमपुरा–2, **जगदलपुर**	07782–229230	07782–229364	
डॉ. एस.के. सिंघई प्राचार्य, शासकीय कन्या पॉलिटेक्निक. कोनी, **बिलासपुर**	07752–260289	07752–260339	
आई.बी.टी. कॉलेज ऑफ डिप्लोमा इंजीनियरिंग, अहिवारा, नंदिनी नगर, **दुर्ग**	93017–05959 94252–42952		

CHALLAN FOR PPT COUNSELLING

CANDIDATE COPY

Directorate of Technical Education, Chhattisgarh, Raipur

SBI Power Jyoti A/c No 31077008863
Date ………………………………………

Registration ID/Ref. No.

. ……………………/………….............
(PPT Roll No) (Over All Rank)

Name of Applicant ……………………

………………………………………….

Amount to be deposited as advance fees – Rs. 2,000/- (Rs. Two Thousand Only)

Bank Charges Rs. 25/- (Rs. Twenty Five Only) to be deposited separately

Signature of Depositor …………………….

SBI Branch Name ……………………….

Amount deposited ……………………….

Bank's Seal & Authorized Signature

CHALLAN FOR PPT COUNSELLING

COLLEGE COPY

Directorate of Technical Education, Chhattisgarh, Raipur

SBI Power Jyoti A/c No 31077008863
Date ………………………………………

Registration ID/Ref. No.

. ……………………/………….............
(PPT Roll No) (Over All Rank)

Name of Applicant ……………………

………………………………………….

Amount to be deposited as advance fees – Rs. 2,000/- (Rs. Two Thousand Only)

Bank Charges Rs. 25/- (Rs. Twenty Five Only) to be deposited separately

Signature of Depositor …………………….

SBI Branch Name ……………………….

Amount deposited ……………………….

Bank's Seal & Authorized Signature

CHALLAN FOR PPT COUNSELLING

DTE COPY

Directorate of Technical Education, Chhattisgarh, Raipur

SBI Power Jyoti A/c No 31077008863
Date ………………………………………

Registration ID/Ref. No.

. ……………………/………….............
(PPT Roll No) (Over All Rank)

Name of Applicant ……………………

………………………………………….

Amount to be deposited as advance fees – Rs. 2,000/- (Rs. Two Thousand Only)

Bank Charges Rs. 25/- (Rs. Twenty Five Only) to be deposited separately

Signature of Depositor …………………….

SBI Branch Name ……………………….

Amount deposited ……………………….

Bank's Seal & Authorized Signature

CHALLAN FOR PPT COUNSELLING

BANK COPY

Directorate of Technical Education, Chhattisgarh, Raipur

SBI Power Jyoti A/c No 31077008863
Date ………………………………………

Registration ID/Ref. No.

. ……………………/………….............
(PPT Roll No) (Over All Rank)

Name of Applicant ……………………

………………………………………….

Amount to be deposited as advance fees – Rs. 2,000/- (Rs. Two Thousand Only)

Bank Charges Rs. 25/- (Rs. Twenty Five Only) to be deposited separately

Signature of Depositor …………………….

SBI Branch Name ……………………….

Amount deposited ……………………….

Bank's Seal & Authorized Signature